अध्याय 2

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

2.1 संचारण गतिविधियां

कार्यकारी सार

हरियाणा में बिजली का संचारण और ग्रिड प्रचालन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है जो एक दक्ष, पर्याप्त और सही ढ़ंग से समन्वित ग्रिड प्रबंधन और बिजली के संचारण के लिए अधिदेशाधीन है। कंपनी के क्रिया-कलापों में अतिरिक्त उच्च दाब (ई.एच.टी.), संचारण नेटवर्क अर्थात् 400 के.वी. से 66 के.वी. स्तर सब-स्टेशन (एस.एसज) और लाईन का निर्माण शामिल 2.1.40है। 31 मार्च 2012 को कंपनी के पास 27062 मेगावोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) की प्रस्थापित क्षमता के साथ 337 एस.एसज तथा 11213.65 सर्कट किलोमीटर (सी.के.एम.) की संचारण लाईनें थी। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए कंपनी की निष्पादन लेखापरीक्षा इसके परिचालन की मितव्यय, दक्षता तथा कारगरता एवं इसकी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए की गई।

प्लानिंग तथा विकास

कंपनी ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 146 एस.एसज के लक्ष्य के विरूद्ध 92 ई.एच.टी.एस. एसज (63 प्रतिशत) का निर्माण किया। कमी, उचित बर्हिगमन सर्वेक्षण न करने, राइट आफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याओं, वन विभाग, रेलवे विभाग से क्लेरेंस प्राप्त करने में विलंब और कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों द्वारा विलंबों को आरोप्य थी। कंपनी शैड्यूल के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकी। अधिक लिया गया समय 3 से 41 माह के बीच श्रृंखलित था। विलंब के कारण अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 36.21 करोड़ के विचारित लाभों की हानि हुई तथा ₹ 0.36 करोड़ की कड़ी हानियां उठाई क्योंकि एस.एसज निष्क्रिय रहे। दो मामलों में उत्पादन क्षमता और शून्यकरण प्रणाली के समापन के मध्य बेमेल के परिणामस्वरूप विकल्पी प्रणाली के माध्यम से विद्युत निष्क्रमण तथा उपभोक्ताओं को समय पर क्वालिटी पावर प्रदान करने में विफलता के अतिरिक्त ₹ 39 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। लोड आवश्यकता के बिना बट्टा पर एस.एस. के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 26.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

कंपनी संचारण हानियों को नियंत्रित नहीं कर सकी क्योंकि एच.ई.आर.सी. के 2.1 प्रतिशत के मानकों के विरूद्ध ₹ 225.85 करोड़ के मूल्य थी यह 2008-09 में 2.5 प्रतिशत से 2011-12 में 2.76 प्रतिशत तक बढ़ गई।

ग्रिड प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन

कंपनी के पास 219 एस.एसज थे, जिनमें से, दक्ष विद्युत प्रबंधन प्रणाली के लिए वास्तविक समय डाटा रिकार्ड करने के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिटस के साथ केवल 43 एस.एसज प्रदान किए गए थे। सी.ई.आर.सी. ने, अप्रैल 2010 के दौरान ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन पर ₹ 8 लाख की शास्ति लगाई। कंपनी बैकिंग डाउन निदेशों के सही अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रही थी और जारी किए गए बैकिंग डाउन संदेशों के अनुपालन पर निगरानी हेतु कोई यंत्रावली विकसित नहीं की थी। बैकिंग डाउन संदेशों के अकार्यान्वयन के कारण डिस्कोमज को ₹ 4.84 करोड़ की हानि उठानी पड़ी थी। संचारण सर्कल (टी.सी.), रोहतक में आपदा प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि इसने 2007-12 के दौरान कोई मॉक ड्रिल कार्यान्वित नहीं की थी। तथापि, टी.सी. करनाल ने मार्च 2012 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान अभ्यास किया था।

वित्तीय प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी लाभ में थी और इसने 2011–12 में ₹ 140.07 करोड़ का लाभ अर्जित किया। ब्याज की उच्चतर दर पर ऋण के आहरण के कारण कंपनी को ₹ 0.94 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा था। हुडा के पास दावा प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 223.88 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 20.28 करोड़ के वार्षिक ब्याज भार हुआ।

शुल्क दर निर्धारण

अननुमोदित पूंजीगत कार्य, जो एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमत था, के लिए आहरित ऋण पर कंपनी को ₹ 218.81 करोड़ का ब्याज भार वहन करना पड़ा था।

मानीटरिंग एवं नियंत्रण

एस.एसज की निष्पादन रिपोर्ट तथा लाईनें बी.ओ.डी. को प्रस्तुत नहीं की जाती। 2009–10 से कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया है। यद्यपि कंपनी ने एक लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, उनकी बैठकों की आवधिकता कंपनी के व्यापार नियमों (लेखापरीक्षा समिति) 2009 की शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

निष्कर्ष और सिफारिशें

संचारण परियोजनाओं की पूर्ति में विलंब था। संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थी। हुडा से वसूली, कारगरता से अनुसरित नहीं की गई। एच.ई.आर.सी. ने अननुमोदित कार्यों के लिए ऋणों पर ब्याज की अनुमति नहीं दी। कंपनी का निष्पादन सुधारने के लिए निष्पादन मूल्यांकन में चार सिफारिशें सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

2.1.1 2012 तक सभी को विश्वसनीय और क्वालिटी बिजली आपूरित करने के विचार से, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) तैयार की। इसने बताया कि देश के लिए एक मजबूत और एकीकृत विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए संचारण प्रणाली में दक्ष और समन्वित कार्यवाही के अतिरिक्त पर्याप्त और सामयिक निवेश अपेक्षित थे। इसने, साथ में केन्द्रीय/राज्य संचारण उपयोगिताओं के समन्वय के साथ राष्ट्रीय और राज्य विद्युत संचारण ग्रिड के विकास के लिए भी आवश्यकता को पहचाना। हरियाणा में विद्युत का संचारण और ग्रिड परिचालन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है जो एक दक्ष, पर्याप्त और सही ढंग से समन्वित ग्रिड प्रबंधन और विद्युत का संचारण प्रदान करने हेतु अधिदेशाधीन है। कंपनी, 19 अगस्त 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंर्तगत निर्मित की गई तथा विद्युत विभाग को सूचित करती है। कंपनी की भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की विद्युत उत्पादक परिसंपत्तियों में भी भागीदारी रूचि है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में विद्युत के संचारण से संबंधित गतिविधियां आवृत करती है।

2.1.2 कंपनी का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, चेयरमैन, प्रबंध निदेशक (एम.डी.), तीन पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और वित्त) और चार अंशकालिक निदेशक से समायुक्त निदेशक मंडल के पास निहित है। कंपनी अपने परिचालन चेयरमैन और एम.डी., जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी है, के माध्यम से करती है।

वर्ष 2007–08 के दौरान कंपनी ने विद्युत के 25,688.80 एम.यूज. संचारित किए जो 2011–12 में 35,358.38 एम.यूज. तक बढ़ गए अर्थात् 2007–12 के दौरान 37.64 प्रतिशत की वृद्धि। 31 मार्च 2012 को कंपनी के पास 11,213.65 सर्केट किलोमीटरज (सी.के.एमज) का संचारण नेटवर्क और 27,062 एम.वी.ए. की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले 337 उप–स्टेशन

(एस.एसज) थे। 2011-12 में कंपनी का आवर्त ₹ 1,112.59 करोड़ था जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.36 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को इसमें 4,983 कर्मचारी नियुक्त थे।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), हरियाणा सरकार के प्रतिवेदन में हाई टेंशन लाईनज और एस.एसज के उत्थापन, संवर्धन और अनुरक्षण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित थी। प्रतिवेदन पर चर्चा राज्य विधान सभा की लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा मार्च 2007 में की गई थी। कोपु की सिफारिशें इसके 53वें प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.3 नवंबर 2011 से मई 2012 के दौरान आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 से 2011-12 के दौरान कंपनी का निष्पादन आवृत करती है। लेखापरीक्षा जांच में मुख्यालय पर विभिन्न प्रभागों, राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), सेवाह (पानीपत) भंडार और वर्कशाप सर्कल, पानीपत, दो संचारण प्रणाली (टी.एस.) जोनज में से एक[f] प्रत्येक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में और दो टी.एस. सर्कल[Y], छः टी.एस. सर्कलों में से एक सिविल अनुरक्षण-सह-निर्माण[@] और एक मीटर और प्रोटेक्शन (एम. एंड पी.) सर्कल[#], दो सिविल अनुरक्षण-सह-निर्माण और अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में दो एम. एंड पी. सर्कलों के अभिलेखों की संवीक्षा से आवेष्टित थी। इकाईयों का चयन संचारण लाईनों के संबंध में एम.वी.ए. और सी.के.एमज में ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि के आधार पर किया गया था। तत्पश्चात् आकार पद्धति के संभाव्यता से अनुपात पर चयन किया गया था।

कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान 92 एस.एसज (क्षमता: 5,488.90 एम.वी.ए.) और 163 लाईनें (क्षमता: 3,442.90 सी.के.एमज) का निर्माण किया, तथा वर्तमान ट्रांसफोर्मेशन क्षमता 6,321.9 एम.वी.ए. तक संवर्धित की। इनमें से 48 एस.एसज (क्षमता: 2,335.5 एम.वी.ए.), 75 लाईनें (क्षमता: 9,44.615 सी.के.एमज) और 2,597.70 एम.वी.ए. तक वर्तमान ट्रांसफोर्मेशन क्षमता के संवर्धन की जांच की गई।

लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति में उच्चतम प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्य स्पष्ट करने, मुख्यालय और चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा किए जाने वाले अधिकारियों से वार्तालाप, लेखापरीक्षा मानदंड के संदर्भ डाटा का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाना, प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा और प्रबंधन/सरकार को टिप्पणियों के लिए समीक्षा प्रारूप जारी करना सम्मिलित है।

Y पंचकूला।

f करनाल तथा रोहतक।

@ पंचकूला।

\# धूलकोट (अंबाला)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:

- संदर्श योजना राष्ट्रीय बिजली नीति/योजना तथा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी और योजना में विफलता के प्रभाव का निर्धारण, यदि कोई हो;
- संचारण प्रणाली का परिचालन और अनुरक्षण एक मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी ढंग से किया गया था;
- संचारण प्रणाली, एक मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी तरीके से विकसित और आरंभ की गई थी;
- अप्रत्याशित विघटनों के विरूद्ध अपने परिचालनों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई थी;
- बिलों के समय पर प्रस्तुतिकरण तथा संग्रहण और समय पर शुल्क दर संशोधन के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) दर्ज करने पर बल देते हुए दक्ष और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली;
- सामग्री प्रापण तथा मालसूची नियंत्रण यंत्रावली की दक्ष और प्रभावी प्रणाली;
- राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) के सामंजस्य में दक्ष और प्रभावी उर्जा संरक्षण उपाय किए गए थे तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना; और
- विद्यमान/चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने, ज्ञात कमियों को दूर करने के लिए सुधारक उपाय करने, लेखापरीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तीव्र और यथेष्ट रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए एक मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान है।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण हेतु अपनाये गए लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्न स्रोत हैं:

- एन.ई.पी. के प्रावधान;
- कंपनी की वार्षिक योजना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट;
- मितव्ययता, दक्षता, कारगरता, साम्या और एथिक्स के सिद्धान्तों के संदर्भ में ठेकों को प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाएं;
- शुल्क दर निर्धारण, परिपत्रों, नियमावलियों और प्रबंधक सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्टों के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को फाईल की गई ए.आर.आर.;
- संचारण योजना मापदण्ड की नियमावली (एम.टी.पी.सी.);
- आयोजना, परिचालन, संयोजन कोड से समायुक्त ग्रिड कोड है;
- राज्य सरकार/विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) से निदेश;

- ❖ एच.ई.आर.सी./केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा जारी मानक/मार्गनिर्देश;
- ❖ संचारण परियोजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण तत्वों को विश्लेषण करने के लिए एम.ओ.पी. द्वारा संस्थापित टास्क फोर्स की रिपोर्ट; और
- ❖ राज्य लोड डिस्पैच सैंटर (एस.एल.डी.सी.) की रिपोर्टें।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.1.6 लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पद्धतियों के मिश्रण का अनुसरण किया:

- ❖ कंपनी/पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/एस.एल.डी.सी. के एजेंडा नोटस तथा बैठकों के कार्यवृत्तों, वार्षिक रिपोर्टो, लेखाओं की समीक्षा;
- ❖ ऋण फाइलों, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा;
- ❖ वार्षिक बजटों, डाटा और पूर्ति रिपोर्टों के साथ भौतिक और वित्तीय प्रगति का विश्लेषण;
- ❖ एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित शुल्क दर;
- ❖ परियोजना कार्यान्वयन, प्रापण, निधियों की प्राप्ति और खर्चों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा; और
- ❖ एंट्री और एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ इंटर-एक्शन।

संचारण प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा

2.1.7 विद्युत का संचारण, हाई वोल्टेजों सामान्यत: 132 के.वी. और अधिक पर लंबी दूरियों पर विद्युत के बृहद् स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। संचारण में हानि कम करने और ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए इसे संचारित करने से पूर्व पावर प्लांट में अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेजों पर उत्पादित विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज शक्ति में बढ़ाया जाता है। एस.एसज, हाई वोल्टेज में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर वोल्टेज को बढ़ाने/घटाने, विद्युत प्रणाली को जोड़ने तथा प्रणाली के अंदर और बाहर उपकरण स्विचिंग के लिए प्रयुक्त सुविधाएं हैं। उत्पादक स्टेशनों पर बढ़ाए गए संचारण एस.एसज, लंबी दूरियों पर संचारण हेतु वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं।

संचारण लाईनों में हाई वोल्टेज विद्युत शक्ति होती है। कम किए गए संचारण एस.एसज उसके बाद उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उपसंचारण वोल्टेज स्तर पर वोल्टेज कम करता है। वितरण प्रणाली में विनिर्ष्टिन वोल्टेजिज पर विद्युत वितरण के लिए आवश्यक लाईनें, खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण[Y] शामिल होते हैं।

विद्युतीय ऊर्जा संचित नहीं की जा सकती, अत: उत्पादन आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। अत:, विद्युत उत्पादन की मांग के साथ विद्युत उत्पादन का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संचारण प्रणाली को ग्रिड प्रबंधन नामक नियंत्रण की एक परिष्कृत प्रणाली की

[Y] नियंत्रण पैनल, बैटरी, कपेसिटर बैंक, बैटरी चार्जर इत्यादि।

आवश्यकता है। संचारण प्रक्रिया का एक सचित्र निरूपण नीचे दिया गया है:

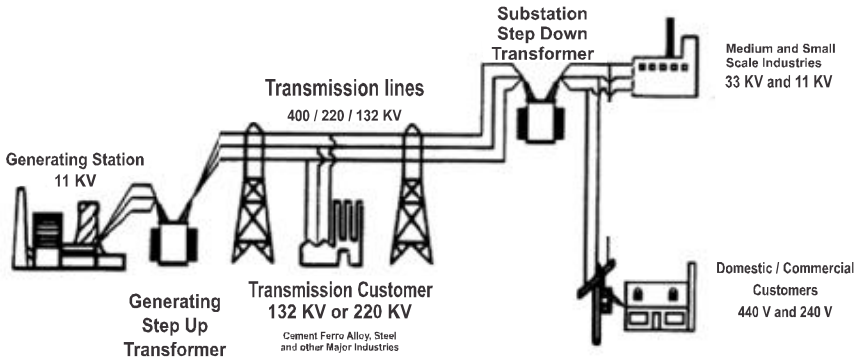

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.8 एंट्री कांफ्रैंस के दौरान हमने कंपनी को लेखापरीक्षा उद्देश्य वर्णित किए थे (अप्रैल 2012)। तदनन्तर, लेखापरीक्षा परिणाम कंपनी और राज्य सरकार को अगस्त 2012 में सूचित किए तथा एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2012) में चर्चा की गई। एग्जिट कांफ्रैंस में विशेष सचिव, विद्युत, हरियाणा सरकार जो कि कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं, ने भाग लिया। कंपनी/राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा परिणामों का उत्तर दिया (अक्तूबर 2012)। उनके द्वारा वर्णित विचार यह निष्पादन लेखापरीक्षा अंतिम करते समय ध्यान में रखे गए हैं। लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे चर्चित किए गए हैं।

आयोजना और विकास

राष्ट्रीय बिजली नीति/योजना

2.1.9 केन्द्रीय संचारण उपयोगिता (सी.टी.यू.) और राज्य संचारण उपयोगिताओं (एस.टी.यूज) का मुख्य दायित्व सभी संबंधित एजैन्सियों के साथ समन्वय में एन.ई.पी. पर आधारित नेटवर्क आयोजना और विकास है। 10वीं योजना अवधि की समाप्ति पर (मार्च 2007), देश में संचारण प्रणाली 765/एच.वी.डी.सी./400/230/220/के.वी. पर 1.98 लाख सी.के.एमज की संचारण लाईनों पर खड़ी थी जो 11वीं योजना अवधि के अंत अर्थात, मार्च 2012 तक 2.93 लाख सी.के.एमज तक बढ़ाई जाने हेतु योजनाबद्ध थी। एन.ई.पी. ने 2006-07 की समाप्ति पर कुल अन्तर्क्षेत्रीय संचारण क्षमता 14,100 एम.डब्ल्यू. निर्धारित की और 11वीं योजना के दौरान कुल अन्तर्क्षेत्रीय क्षमता 37,700 एम.डब्ल्यू. तक लाने के लिए 23,600 एम.डब्ल्यू. बढ़ाने हेतु आगे योजना की । तथापि, कंपनी अन्य उत्तरी क्षेत्र राज्यों से घिरी हुई है तथा क्षेत्र की सीमा पर नही है और इस प्रकार यह अन्तर्क्षेत्रीय क्षमताओं की योजना या निष्पादन में आवेष्टित नहीं है।

2007-08 के शुरू में कंपनी का संचारण नेटवर्क, ई.एच.टी. संचारण लाईनों की 15,251,17 एम.वी.ए. और 7,770.75 सी.के.एमज की संचारण क्षमता वाले 245 अतिरिक्त उच्च दाब (ई.एच.टी.) एस.एसज से समायुक्त था। 31 मार्च 2012 को संचारण नेटवर्क ई.एच.टी. संचारण लाईनों की 27,062 एम. वी. ए. और 11,213.65 सी.के.एमज की संचारण क्षमता वाले 337 ई.एच.टी. एस.एसज से समायुक्त था।

संचारण नेटवर्क और इसका विकास

2.1.10 2007 - 08 से 2011 - 12 के दौरान ई.एच.टी. स्तर पर कंपनी की संचारण क्षमता नीचे दी गई है:

क्र.सं.	ब्यौरा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
क.	सब - स्टेशनों की संख्या (संख्या)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	245	256	273	289	311	-
2	वर्ष के लिए योजना की गई वृद्धियां	26	19	23	55	23	146
3	वर्ष के दौरान की गई वृद्धियां	11	17	16	22	26	92
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल उप - स्टेशन	256	273	289	311	337	-
5	वृद्धियों में कमी (2-3)	15	2	7	33	-3	54
ख.	ट्रांसफार्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में क्षमता	15,251.17	16,268.17	18,375.50	20,582.00	24,097.50	
2	वर्ष के लिए योजना किए गए वृद्धि / संवर्धन	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वृद्धित क्षमता	1,017.00	2,107.33	2,206.50	3,515.50	2,964.50	11,810.83
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	16,268.17	18,375.50	20,582.00	24,097.50	27,062.00	
ग.	संचारण लाईनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	7,770.75	7,935.73	8,425.43	8,999.10	10,015.84	
2	वर्ष के लिए योजना की गई वृद्धियां	-	-	-	-	-	
3	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	164.98	489.70	573.67	1,016.74	1,197.81	3,442.9
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल लाईनें (1+3)	7,935.73	8,425.43	8,999.10	10,015.84	11,213.65	

एस.एसज की वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति को अंकों में नीचे लाईन ग्राफ में चित्रित किया गया है:

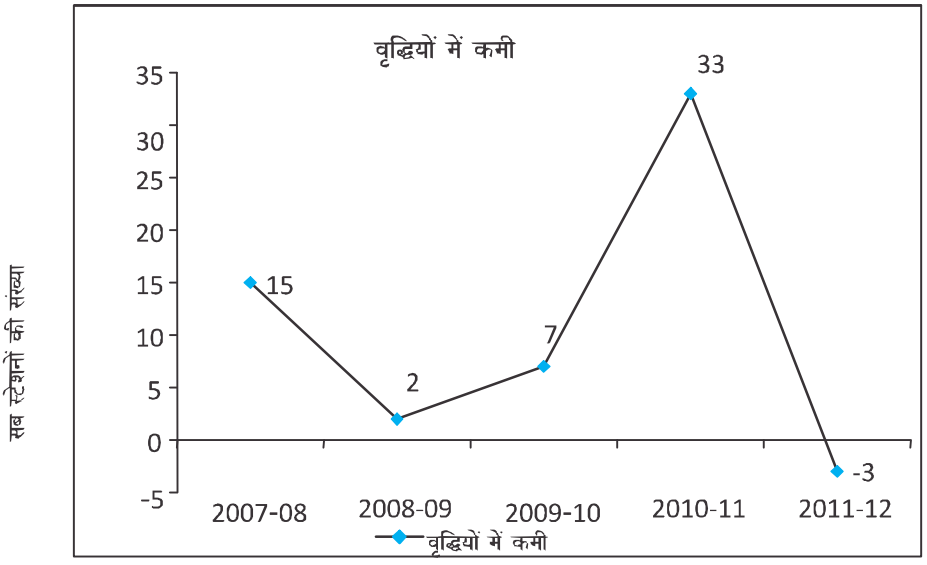

एस.एमज की क्षमता वृद्धि, विभिन्न क्षमता (220 के.वी., 132 के.वी. इत्यादि) के एस.एसज की संख्या के निबंधन में योजनावद्ध थी। तथापि, एम.वी.ए. के निबंधन में परिवर्तन क्षमता वास्तविक आवश्कता के आधार पर बनाई जाती है। 146 एस.एसज के निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी ने केवल 92 एस.एसज (63 प्रतिशत) का निर्माण किया। 2011-12 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के लिए वृर्धित संचारण क्षमता 11,810,83 एम.वी.ए. थी। समीक्षा अवधि के दौरान योजना बनाई गई वोल्टेज-वार क्षमता वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी इत्यादि के विवरण ***परिशिष्ट – 7*** में दिए गए हैं। कंपनी लगातार अपने लक्ष्य कम प्राप्त कर रही है। लक्ष्यों की अप्राप्ति के मुख्य कारण, जैसा कि हमने अवलोकित किया अनुच्छेद 2.1.14 से 2.1.19 में चर्चित किए गए हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन, ट्रांसफार्मर, क्षमता में योजना की गई क्षमता वृद्धि और उनकी योजना में संचारण लाईनों की लंबाई प्रदर्शित करने के लिए भी सहमत हुआ और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

2.1.11 एक संचारण परियोजना में अवधारण चरण से इसके चालू करने तक की विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। एक संचारण परियोजना में मुख्य गतिविधियां हैं:

(i) परियोजना प्रतिपादन, मूल्यांकन और अनुमोदन चरण तथा (ii) परियोजना निष्पादन चरण

परियोजना कार्यान्वयन की अवधि में कटौती के लिए विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने संचारण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स इस विचार से निर्मित किया (फरवरी 2005):

- संचारण परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण,
- सी.टी.यूज और एस.टी.यूज का सर्वोतम प्रचलनों से कार्यान्वयन, और
- 24 मास की अवधि के लिए एक आदर्श संचारण परियोजना सारणी का सुझाव देना।

संचारण प्रणालियों की पूर्ति तीव्र करने के लिए टास्क फोर्स ने निम्नलिखित उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया और सिफारिश की (जुलाई 2005)।

- ❖ विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां, जैसे सर्वेक्षण, डिजाईन और परीक्षण, वन और अन्य सांविधिक समाशोधन के लिए प्रक्रिया, निविदा गतिविधियां इत्यादि परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण से पहले समानान्तर करना तथा एक बार संचारण लाइन परियोजना संस्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो निर्माण गतिविधियों के साथ आगे बढ़ना
- ❖ संचारण परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित पैकेजों में इस प्रकार विभक्त करना कि पैकेजेस का कम से कम समन्वय और अन्तर्पृष्ठ की आवश्यकता से प्रापण और कार्यान्वयन किया जा सके और उसी समय लागत प्रभावी प्रापण को सुविधाजनक करके प्रतियोगिता को आकर्षित करता है; और

❖ टावर निर्माण के डिजाईन मानकीकृत करना ताकि परियोजना निष्पादन में 6 - 12 मास बचाए जा सकें।

2.1.12 लेखापरीक्षा में नमूना - जांच किए गए करनाल और रोहतक सर्कल के संबंध में मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान एम.एसज और लाईनों के निर्माण में विलंब नीचे तालिकाबद्ध हैं:

क्षमता के.वी. में	निर्मित कुल संख्या		लेखापरीक्षा द्वारा नमूना - जांच किए गए संख्या		निर्माण में विलंब (संख्या)		अधिक लिया गया समय (महीनों में श्रृंखला)	
	एस.एस.	लाईनें	एस. एस.	लाईनें	एस.एस.	लाईनें	एस.एस.	लाईनें
400	2	9	0	4	0	0	0	0
220	21	42	10	16	10	13	1 से 13	3 से 31
132	51	82	38	55	30	21	2 से 32	3 से 41

परियोजनाओं की विलंबित पूर्ति के कारण कंपनी ₹ 36.21 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रही तथा ₹ 0.36 करोड़ की भारी हानियां उठाई।

विलंब के मुख्य कारण, भूमि अधिग्रहण और स्थल सौंपने में विलम्ब के अलावा एस.ए.एज की पूर्ति के साथ संचारण लाईनों से संबंधित काम का अनिष्पादन, उपयुक्त हड़ताल सर्वेक्षण न करना, मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याएं, वन विभाग, रेलवे विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने में विलम्ब और ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलम्ब जैसा कि अनुच्छेद 2.1.14 से 2.1.19 में चर्चित है। हमने अवलोकित किया कि कंपनी, विभिन्न आरंभिक गतिविधियां करने में विफल रही जैसे कि परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानान्तर में सर्वेक्षण, डिजाइन तथा परीक्षण, वन तथा अन्य सांविधिक क्लीयरेंसिस हेतु प्रक्रिया, निविदा गतिविधियां इत्यादि जैसा कि टास्क फोर्स समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। हमने यह भी अवलोकित किया कि यद्यपि संचारण परियोजनाएं पैकेजेस में विभक्त की गई थी, फिर भी कंपनी विभिन्न एस.एमज और लाईनों को सामयिक तरीके से निष्पादित करने में विफल रही। 53वीं रिपोर्ट (मार्च 2007) में कोपु की सिफारिश के बावजूद कि एस.एसज के निष्पादन में विलंब के परिहार के लिए भूमि की उपलब्धता आर.ओ.डब्ल्यू. इत्यादि संबंधी बाधाओं का ध्यान समयपूर्व रखना चाहिए, कंपनी ने एस.एसज के समयपूर्व निष्पादन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए थे। समिति ने भी अनुशंसित किया था कि ट्रांसफार्मरों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उपयोगिताओं के बीच उपयुक्त समन्वय होना चाहिए था। लेकिन यह अवलोकित किया गया कि कोपु की सिफारिशों के बावजूद, कंपनी और डिस्कॉमज द्वारा फीडिंग लाईनों के अनिर्माण के कारण कंपनी ने एस.एसज को किसी भार के बिना निष्क्रिय रखा। इस प्रकार, एस. एसज निष्क्रिय रहे परिणामत: कड़ी हानिया[@] हुई इसके अतिरिक्त कंपनी इन एस.एसज के निर्माण के विचारित लाभों से वंचित रही जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

एस.एसज और लाईनों के निर्माण में विलंब

2.1.13 मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए विभिन्न कार्यों की नमूना - जांच ने परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के कई उदाहरण प्रकट किए जिनका भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

[@] ट्रांसफार्मरों द्वारा विद्युत खपत जब इस पर कोई भार नहीं है।

220 के.वी. एम.एस. कोल

2.1.14 कंपनी ने, पेहोवा और बस्तारा से 220 के.वी. डबल सर्केट (डी/सी) लाईन की संबद्ध स्रोत लाईन और 132 के.वी. एस.एस डांड तक 132 के.वी. डी.सी. लाईन की फीडिंग लाईन और 132 के.वी.एस.एस. हाबरी तक 132 के.वी. सिंगल सर्कट (एस/सी) लाईन के साथ प्रत्येक 100 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर के साथ 220 के.वी. एस.एस. कौल का सृजन अनुमोदित किया। उपर्युक्त एस.एस. का निर्माण अतिभारित 220 के.वी.एस. कैथल को राहत देने हेतु डिजाइन किया गया था। उपर्युक्त निर्माण कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जुलाई 2008 में जारी किया गया था। इस प्रकार, नवंबर 2007 में कार्य के अनुमोदन के पश्चात् एन.आई.टी. जारी करने हेतु इसने सात महीने से अधिक समय लिया।

संबद्ध स्रोत लाईन का कार्य, मई 2010 तक पूर्णता की नियत तिथि के साथ जनवरी 2009 में दिया गया था। इसी प्रकार, एस.एस. का कार्य जून 2010 तक नियत पूर्णता के साथ फरवरी 2009 में दिया गया था। हमने देखा कि संबद्ध स्रोत लाईने रेलवे प्राधिकारियों से विलंबित अनुमोदन के कारण तीन महीनों के विलंब के पश्चात् दिसंबर 2010 में पूर्ण की गई। एक ट्रांसफार्मर के साथ एस.एस. जून 2010 की पूर्णता नियत तिथि के विरूद्ध दिसंबर 2010 में चालू किया गया। तथापि, अन्य ट्रांसफार्मर अभी तक चालू नहीं हुआ (सितंबर 2012)। आगे दो ट्रांसफार्मरों को अभी तक चालू नहीं किया गया था (सितंबर 2012)। आगे दो फीडिंग लाईनों के संबंध में कार्य अभी तक नहीं दिए गए थे (सितंबर 2012)।

इस प्रकार, एस.एस. की पूर्णता में विलंब के कारण, अतिभारित 220 के.वी.एस.एस. कैथल को यथा विचारित राहत प्रदान नहीं की जा सकी और अन्ततः ट्रांसफार्मर पर 30 अगस्त 2011 को भार डाला गया। कंपनी ने ₹ 4.47 लाख[#] मूल्य के 1.30 लाख[α] इकाईयों (एल.यूज़) की कड़ी हानियां अवधि, (270) दिन जिस दौरान ट्रांसफार्मर बिना भार के चला, हेतु उठाई और अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 10 करोड़ का विचारित लाभ[δ] भी वसूल नहीं किया जा सका।

220 के.वी.एस.एस. सांपला

2.1.15 कंपनी ने बहादुरगढ़-रोहतक 220 के.वी.डी./सी. के लूप इन लूप आउट (एल.आई. एल.ओ.) की संबद्ध स्रोत लाईन के साथ 220 के.वी.एस.एस. सांपला का सृजन अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एस.एस. को 220 के.वी. डी./सी. सांपला मोहाना लाईन का सृजन करके प्रस्तावित 220 के.वी.एस.एस मोहाना के साथ जोड़ा जाना था। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किए गए थे। अक्तूबर 2007 में इसके अनुमोदन के बाद एन.आई.टी. जारी करने में इसने आठ मास से अधिक समय लिया।

\# कड़ी हानियां (₹ लाख में) = कड़ी हानियां (एल.यूज) x भारकृत और विद्युत क्रय लागत अर्थात् ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010-11) तथा ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12) 0.57 एल.यूज.x ₹ 3.34 + 0.73 एल.यूज.x ₹ 3.52

α एल.यूज में कड़ी हानियां= प्रत्येक क्रय आदेश में उल्लिखित अनुसार प्रति घंटा कड़ी हानियां (के.डब्ल्यू.) x 24 घंटेx भार रहित रहे दिनों की संख्या/एक लाख

δ किया गया व्ययx आवर्त की दर (%)x दिनों में विलंब।

दोनों 220 के.वी. लाईनों हेतु कार्य मई 2010 तक, नियत पूर्णता के साथ जनवरी 2009 में दिए गए थे। एस.एस. के लिए कार्य फरवरी 2009 में दिया गया तथा यह जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। फिरभी, पूर्णता की तिथि नवंबर 2010 तक बढ़ा दी गई क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी। हमने अवलोकित किया कि बहादुरगढ़ - रोहतक संबंद्ध स्रोत लाईन, रूट का अंतिमकरण न होने के कारण 17 मास से भी अधिक विलंब के साथ नवंबर 2011 को पूर्ण हुई। सांपला से मोहाना तक 220 के.वी. लाईन मार्च 2011 में नौ मास के विलंब के साथ पूर्ण की गई। हमने, अवलोकित किया कि भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) से अनुमोदन लेने में विलंब था तथा शटडाउन के लिए रेलवे द्वारा अनुमति विलंबित थी क्योंकि प्रस्तावित लाईन को पी.जी.सी.आई.एल. लाईन और रेलवे ट्रैक को पार करना था। एस.एस. सांपला भी मार्च 2011 में चालू किया गया था।

कंपनी टास्क फोर्स की सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रही। इसने विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां जैसे परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के साथ - साथ विस्तृत सर्वेक्षण करना और रेलवे क्लीयरेंस प्राप्त करना पूर्ण नहीं की। परिणामत:, कंपनी ने ट्रांसफार्मरों पर 303 दिन (दिसंबर 2011 तक) भार नहीं डालने के कारण ₹ 5.08[Y] लाख मूल्य के 1.45 एल.यूज की कड़ी हानियां कायम की तथा ₹ 7.50 करोड़ के विचारित अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में भी विफल रही।

220 के.वी.एस.एस. मोहाना

2.1.16 कंपनी ने सोनीपत में, 132 के.वी.एस.एस. मुंडलाना और एस.एस. मोहाना में एस./सी. हरसाना कलां - खरखोदा की एल.आई.एल.ओ. को फीड करने के लिए 220 के.वी.डी./सी. झांजी - मोहाना लाईन की स्रोत लाईन सहित 220 के.वी.एस.एस., मोहाना के निर्माण हेतु निर्णय लिया (अप्रैल 2008)।

तथापि, एस./सी. लाईन हरसाना कलां - खरखोदा की एल.आई.एल.ओ. के निर्माण का प्रस्ताव फरवरी 2012 में देरी से निरस्त कर दिया गया तथा एस.एस. मोहना से 132 के.वी. हरसाना कलां तक 132 के.वी.डी./सी. नई लाईन प्रतिष्ठापित करने हेतु निर्णय लिया गया। 220 के.वी.एस.एस. मोहना का कार्य जून 2010 तक पूर्णता की नियत तिथि के साथ दिया गया। इसकी स्रोत लाईन 220 के.वी.डी/सी. झांजी - मोहाना लाईन का कार्य फरवरी 2010 में दिया गया तथा मई 2010 तक पूर्ण किया जाना था। मई 2010 में दिया गया मोहाना - मुंडलाना की फीडिंग लाईन का कार्य मई 2011 तक पूर्ण किया जाना था।

हमने अवलोकित किया कि एस.एस. चार मास के विलंब के बाद जून से नवंबर 2010 तक चालू किया गया जबकि फीडिंग लाईन अर्थात् 132 के.वी. मोहाना - मुंडलाना लाईन अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी (सितंबर 2012)। इस प्रकार, 132 के.वी. एस.एस. मुंडलाना को 220 के.वी.एस.एस. रोहतक के माध्यम से फीड करवाना पड़ता था। 349 दिन (अक्तूबर 2011 तक) उन पर कोई लोड डाले बिना ट्रांसफार्मरों के ऊर्जाकरण के कारण कंपनी ने

[Y] कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 0.14 एल.यूज x ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010 - 11) तथा 1.31 एल.यूज x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011 - 12)।

₹ 5.77 लाख[δ] मूल्य के 1.68 एल.यू. खो दिए। कंपनी ₹ 4.12 करोड़ का विचारित अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि विचारित था।

220 के.वी. एस.एस. छाजपुर

2.1.17 कंपनी ने 220 के.वी.एस.एस. छाजपुर, 220 के.वी.डी./सी. सेवाह की स्रोत लाईन से छाजपुर लाईन तक और 132 के.वी.एस./सी. लाईन की दो फीडिंग लाईनें एस.एस. छाजपुर से 132 के.वी.एस.एस, सैक्टर 29, पानीपत तक और बिहोली से छाजपुर तक 132 के.वी.एस./सी. लाईन का निर्माण अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किया गया। फीडिंग लाईन के लिए कार्य अर्थात् एस.एस. छाजपुर से पानीपत तक अक्तूबर 2008 में दिया गया और नवंबर 2009 तक पूर्ण किए जाने की योजना बनाई थी। उसके बाद, दो लाईनों[*] के लिए कार्य अर्थात् एक फीडिंग और एक स्रोत लाईन जनवरी 2009 में दिया गया था। फीडिंग और स्रोत लाईन का कार्य क्रमश: फरवरी और मई 2010 तक पूर्ण किया जाना था। इसी प्रकार, एस.एस. का कार्य फरवरी 2009 में दिया गया जो जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। हमने अवलोकित किया कि स्रोत लाईन नौ मास के विलंब के साथ मार्च 2011 में पूर्ण की गई और फीडिंग लाईनों[d] और छ:[∝] मास के विलंब के साथ सितंबर 2010 में पूर्ण की गई। ये लाईनें, कंपनी द्वारा एस.एस. छाजपुर में खण्ड[ϒ] के अनिर्माण के अलावा, आर.ओ.डब्ल्यू. समस्या तथा वन विभाग द्वारा विलंबित क्लीयरैंस के कारण विलंबित हुई। फीडिंग लाईनें अप्रैल 2012 से परिचालन की गई। विलंब के परिणामस्वरूप (अप्रैल 2012 तक) ₹ 6.90 लाख[∇] मूल्य के 1.96 लाख एल.यूज की कड़ी हानियां हुई और अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 6.30 करोड़ का विचारित लाभ भी वसूल नहीं किया जा सका।

220 के.वी.एस.एस. समालखा

2.1.18 कंपनी ने समालखा में 220 के.वी.एस.एस. का निर्माण इसकी संबद्ध चार लाईनों अर्थात् 220 के.वी.डी./सी. समालखा से छाजपुर लाईन तक, समालखा से बिहोली तक डी./सी. टावरों पर, 132 के.वी.एस./सी. लाईन, समालखा से नौलथा तक डी./सी. टावरों पर 132 के.वी. एस./सी. लाईन और समालखा से बेगा तक डी./सी. टावरों पर 132 के.वी. एस./सी. लाईन के साथ अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किया गया। इस प्रकार, कंपनी ने एन.आई.टी. जारी करने में आठ महीने से अधिक समय लिया।

δ कड़ी हानियां (₹ लाख में): 0.65 एल.यूज X ₹ 3.34 (2010-11) + 1.02 एल.यूज X 3.52 (2011-12)।

* सेवाह से छाजपुर तक 220 के.वी.डी./सी. स्रोत लाईन तथा बेहोली से छाजपुर तक 132 के.वी.एस./सी. फीडिंग लाईन।

d छाजपुर से पानीपत।

∝ बेहोली से छाजपुर।

ϒ खण्ड का अर्थ, विनिर्दिष्ट आपूर्ति लाईन तथा विद्युत ट्रांसफार्मर हेतु उप-स्टेशन की बस-बार से संयोजित स्विचिंग तथा नियंत्रण साधनों से समायुक्त एक उप-स्टेशन का हिस्सा है।

∇ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 1.96 एल.यूज X ₹ 3.52

एस.एस. के लिए कार्य फरवरी 2009 में दिया गया था। कार्य मई 2010 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु दिसंबर 2010 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी। तीन 132 के.वी. लाईनों और एक 220 के.वी. लाईन हेतु कार्य क्रमशः फरवरी 2010 तथा मई 2010 तक निर्धारित पूर्णता के साथ दिया गया।

हमने अवलोकित किया कि एस.एस., मुख्यतः ठेकेदार द्वारा सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, मजदूर और मशीनरी की समस्या तथा ठेकेदार की अनुचित आयोजना के कारण सात मास के विलंब के साथ जनवरी 2011 में चालू किया गया। चार संबद्ध लाईनें सात से 10 मास के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ अगस्त 2010 से मार्च 2011 के दौरान पूर्ण की गई। विलंब के मुख्य कारण, 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्ग के परिवर्तन के कारण लाईन की लम्बाई में वृद्धि, बृहद् मात्रा भिन्नताएं, रेलवे क्रॉसिंग के अनुमोदन में विलंब, 220 के.वी.डी./सी, नंगल दिल्ली बी.बी.एम.बी. लाईन की क्रॉसिंग के अनुमोदन में देरी, आर.ओ.डब्ल्यू. समस्या, भूमि-मालिकों द्वारा मुकद्दमेंबाजी और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा 11 के.वी. फीडर्स के स्थानान्तरण में देरी थे। विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 5.64 करोड़ का विचारित लाभ त्याग दिया गया।

132 के.वी.एस.एस. बिहोली

2.1.19 कंपनी ने 132 के.वी.एस.एस. बिहौली का निर्माण अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। विद्यमान 33 के.वी.एस.एस. बिहोली (16.6 एम.वी.ए.) और डिकाडला (17.6 एम.वी.ए.) को उनका लोड प्रस्तावित एस.एस. को स्थानांतरित करके राहत प्रदान करने हेतु एस.एस. निर्मित किया जाना था।

एस.एस. के निर्माण हेतु कार्य फरवरी 2009 में दिया गया था। कार्य फरवरी 2010 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु सितंबर 2010 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी तथा अक्तूबर 2010 में अंशतः चालू किया गया तथा नवंबर 2011 में पूर्ण रूप से 20 मास के विलंब के बाद चालू किया गया। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अप्रैल 2011 तक लोड न डालने के कारण ₹ 2.99 लाख[ϒ] मूल्य के 0.89 एल.यूज की कड़ी हानियां उठाई तथा अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 2.65 करोड़ का विचारित लाभ प्राप्त करने में भी विफल रही।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि एस.एस. कौल, सांपला, छाजपुर और समालखा के संबंध में विलंबित निधि प्रबंधन के कारण एन.आई.टीज के प्रचालन में अधिक समय लिया गया। और अधिक, एस.एस. और लाईनों की पूर्णता में बेमेल और डिस्कोमज द्वारा मूल प्रणाली के अनिर्माण के कारण, एस.एस कोल, मोहाना, छाजपुर और बिहोली को लोड पर नहीं डाला गया। उन्होंने दलील दी कि विचारित लाभ की हानि लागू नहीं है क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. को राजस्व ए.आर.आर. के आधार पर दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने डी.पी.आरज में परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् अर्जित किए जाने वाले रिटर्न की दर परियोजित की थी। इस प्रकार, विलंबित पूर्णता के कारण कंपनी डी.पी.आर. के अनुसार अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

ϒ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 0.75 एल.यूज x ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010-11) तथा 0.14 एल.यूज x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12)।

132 के.वी.एस.एस. हल्लुवास

2.1.20 बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन प्रावधान की गई शक्ति के निबंधन में राज्य सरकार ने कंपनी को, बिजली के संचारण के लिए स्थापित या स्थापित की जाने वाली या अनुरक्षित बिजली लाईनों के संबंध में, वे सभी शक्तियां दे दी (21 दिसंबर 2009) जो टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास थी। एक टेलीग्राफ प्राधिकरण, कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत गजट अधिसूचना जारी कर सकता है।

कंपनी ने निष्क्रिय 132 के.वी.एस./सी. दादरी, भिवानी लाईन को प्रयुक्त करके 132 के.वी.एस. एस. हल्लुवास के सृजन और 132 के.वी. अतिरिक्त लाईन के निर्माण के लिए डी.एच.बी.वी.एन. एल. का प्रस्ताव अनुमोदित किया (जनवरी 2006)।

हमने अवलोकित किया कि सशक्तिकरण से पहले (दिसंबर 2009) कंपनी ने प्रस्तावित एस.एस. की लिंक लाईन के निर्माण के लिए गजट अधिसूचना जारी की (19 दिसंबर 2006)। एस.एस. ₹ 5.39 करोड़ की लागत पर 14 मई 2009 को पूर्ण किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकार दिए गए बिना अधिसूचना जारी करने के आधार पर भूमि मालिक द्वारा दर्ज किए मामले में ट्रायल कोर्ट, भिवानी द्वारा प्रदान किए स्टे (23 जनवरी 2008) के कारण लिंक लाईन का कार्य रूका हुआ था। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध दर्ज की गई अपीलें जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा क्रमश: 16 अक्तूबर 2008 और 19 फरवरी 2009 को रद्द कर दी गई थी। बाद में, राज्य सरकार ने कंपनी को गजट अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्तिकरण हेतु अधिसूचना जारी की (21 दिसंबर 2009) और अप्रैल 2011 में भू-स्वामी द्वारा मामला वापस ले लिया गया। एस.एस. 8 जुलाई 2011 अर्थात दो वर्षों से अधिक के विलंब के बाद चालू किया गया। इस प्रकार, प्रस्तावित एस.एस. की लिंक लाईन के निर्माण के लिए ऐसा करने हेतु अधिकार प्राप्त किए बिना कंपनी द्वारा अधिसूचना जारी करने के कारण, परिणामस्वरूप परिहार्य मुकद्दमेंबाजी हुई तथा परिणामत: ₹ 5.39 करोड़ की लागत पर निर्मित एस.एस. अप्रयुक्त रहा जिससे ₹ 1.05 करोड़[d] के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि पूर्ववर्ती एच.एस.ई.बी. के समय से इस प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है और लाईन मुकद्दमेबाजी के कारण विलंबित थी। तथ्य रहा कि कंपनी ने तथ्य को नजरअंदाज किया कि इसे इसके परिवर्तित कानूनी स्थिति के परिणामस्वरूप विशेष सशक्तिकरण की आवश्यकता थी।

उत्पादक क्षमता और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल

2.1.21 एन.ई.पी. में उत्पादन क्षमता और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल के परिहार के लिए, नई उत्पादन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए संचारण क्षमता संवर्धन विचारित था। संचारण नियंत्रण कार्यों के निष्पादन में विलंब के कारण उत्पादन कंपनी की उत्पादन योजनाओं के साथ मेल करने हेतु कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली संचारण सुविधाएं समय पर प्रदान नहीं की जा

---

d ₹ 5.39 करोड़ x 9.08 प्रतिशत (2007-11 के दौरान ब्याज की औसत दर) x 785 दिन/365 दिन।

सकी। अंतत: जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल और बाद में विद्यमान और पहले ही अतिभारित संचारण लाईनों में विद्युत का निष्क्रमण हुआ।

नमूना-जांच के दौरान, निम्नलिखित मामले अवलोकित किए गए जिनमें कंपनी, उत्पादन क्षमता के सृजन के साथ मेल करने के लिए संचारण नेटवर्क को पूर्ण करने में विफल रही।

इंदिरा गांधी सुपर थर्मल बिजली परियोजना (आई.जी.एस.टी.पी.पी.), झज्जर

2.1.22 अरावली पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (ए.पी.सी.पी.एल), एक कंपनी भारत के राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा अधिकृत, इन्द्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आई.पी.जी.सी.एल) और एच.पी.जी.सी.एल. ने (जुलाई 2007) झज्जर में 1500 एम. डब्ल्यू. (3 यूनिटस x 500 एम.डब्ल्यू) आई.जी.एस.टी.पी.पी. के निर्माण हेतु कार्य यूनिट-I, II और III के समक्रमणों के लिए निर्धारित तिथि क्रमश: जुलाई 2010, अक्तूबर 2010 और जनवरी 2011 के साथ सौंपा। यूनिट I और II का समक्रमण देरी से क्रमश: 10 अक्तूबर 2010 तथा 21 अक्तूबर 2011 को किया गया तथा यूनिट III अभी तक चालू नहीं किया गया था।

कंपनी ने आई.जी.एस.टी.पी.पी. से बिजली के निष्क्रमण संबंधित निम्नलिखित संचारण कार्य अनुमोदित किए (दिसंबर 2007)

क्र. सं.	कार्य का नाम	एल.ओ.ए. की तारीख	आरंभ करने की तारीख		दिनों में विलंब
			समय सारणी	वास्तविक	
1	400 के.वी. लाईन का निर्माण एस.एस. दौलताबाद	19.09.2008	18.04.2010	12.03.2011	328
2	आई.जी.टी.पी.एस. से दौलताबाद तक 400 के.वी. लाईन का निर्माण	31.10.2008	30.03.2010	07.12.2010	252
3	दौलताबाद से सैक्टर 72, गुड़गांव तक 400 के.वी. लाईन का निर्माण	03.03.2010	02.01.2011	पूर्ण नहीं किया गया (सितंबर 2012)	

एस.एस. और एक लाईन समय पर पूर्ण नहीं किए गए तथा क्रमश: 328 और 252 दिनों तक विलंबित ने अक्तूबर 2010 में यूनिट I के समक्रमण के विरूद्ध, केवल एक लाईन वाला एस.एस मार्च 2011 तक पूर्ण किया गया। दौलताबाद से सैक्टर 72, गुडगांव तक की लाईन अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी (सितंबर 2012)।

हमने अवलोकित किया कि उपर्युक्त संचारण कार्यों के निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)/जिला नगर आयोजना (डी.टी.पी) प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने के कारण अनुबंध के विलंबित हस्ताक्षर तथा आर.ओ.डब्ल्यू समस्याओं के कारण विलंबित थे। इस प्रकार, उत्पादन क्षमताओं के सृजन और संचारण सुविधाओं के मध्य बेमेल होने के कारण कंपनी ने अतिभारित लाईनों के द्वारा बिजली निष्क्रमित की परिणामत: कोटि बिजली की उपलब्धता, संशोधित वोल्टेज इत्यादि उपभोक्ताओं को सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, खेदड़, हिसार (आर.जी.टी.पी.एस)

2.1.23 एच.पी.जी.सी.एल. ने यूनिट I और II के लिए समक्रमण शेड्यूल क्रमश: नवंबर 2009 और फरवरी 2010 के साथ प्रत्येक 600 एम.डब्ल्यू. के दो यूनिट, आर.जी.टी.पी.एस. निर्माण के लिए प्रतिष्ठापन, प्रापण और चालू करने (ई.पी.सी.) का अनुबंध दिया (जनवरी 2007)। यूनिट I और II का वास्तव में 28 दिसंबर 2009 और 20 अप्रैल 2010 को समक्रमण हो गया।

नीचे तालिका आर.जी.टी.पी.एस. से बिजली के निष्क्रमण संबंधी संचारण कार्यों में विलंब को दर्शाती है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	एल.ओ.ए. की तारीख	आरंभ करने की तारीख		दिनों में विलंब
			समय सारणी	वास्तविक	
1	400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी का सृजन	08.04.2008	07.11.2009	19.02.2010	104
2	आर.जी.टी.पी.एस. (खेदड़) से 400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी (हिसार) तक 400 के.वी. डी./सी. लाईन का सृजन	07.01.2008	06.08.2009	19.02.2010	198
3	आर.जी.टी.पी.एस. से 400 के.वी. एस.एस. फतेहाबाद पी.जी.सी.आई.एल. तक 400 के.वी. डी./सी. लाईन	07.01.2008	06.08.2009	5.01.2010	152
4	400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी (हिसार) में जींद हिसार आई.ए. 220 डी./सी. के लूप आउट में लूप	03.06.2008	02.07.2008	20.05.2009	322
5	नूंहियांवाली में 400 के.वी. एस.एस. का सृजन	01.06.2009	22.04.2011	27.02.2012	311
6	प्रस्तावित 400 के.वी. एस.एस. नूंहियांवाली में 400 के.वी. डी./सी. आर.जी.पी.टी.एस.-फतेहाबाद लाईन के एक सर्किट का एल.आई.एल.ओ.	06.08.2009	05.09.2009	18.07.2011	681

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने जनवरी 2007 में आर.जी.टी.पी.एस. के लिए एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा कार्य सौंपने की तिथि से 10 से 20 मास तक श्रृंखलित विलंब के साथ जनवरी 2008 से अगस्त 2009 के दौरान संचारण प्रणाली के निर्माण के लिए कार्य दिया। आगे, ये संचारण कार्य आरेखणों के अनुमोदन में विलंब के कारण 104 दिन से 681 दिन तक श्रृंखलित विलंब से पूर्ण किए गए। यूनिट I और यूनिट II के क्रमश: दिसंबर 2009 और अप्रैल 2010 में चालू होने के विरूद्ध एक एस.एस (क्र. सं. 1) दो लाईनें (क्र. सं. 2 एवं 3) और एक एल.आई.एल.ओ. (क्र.सं. 6) मई 2009 और 2011 के मध्य किए गए और एक एस.एस. (क्र.सं. 5) 311 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया था। किरोड़ी एस.एस. पर जींद-हिसार का केवल एल.आई.एल.ओ. (क्र.सं.4) यूनिट I के वास्तविक चालू करने से पहले पूर्ण किया जा सका। निष्क्रमण प्रणाली के समय पर पूर्ण न होने के कारण कंपनी को आर.जी.टी.पी.एस. पर ₹ 1.98 करोड़ की लागत पर मई 2009 में 400 के.वी. हिसार-मोगा लाईन के एल.आई.एल.ओ.

की अस्थाई व्यवस्था करनी पड़ी थी (मार्च 2009)। यह लाईन आर.जी.टी.पी.एस. फतेहाबाद पी.जी.सी.आई.एल. लाईन के निर्माण के बाद जनवरी 2010 में तोड़नी पड़ी। तथापि, ₹ 1.98 करोड़ की लागत में से ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की सामग्री दुबारा प्रयुक्त की जाएगी जबकि 0.39 करोड़ का शेष खर्चा हानि के रूप में बट्टे खाते में डालना पड़ेगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) संबद्ध संचारण लाईनं रेलवे प्राधिकारियों से अनुमोदन की विलंबित प्राप्ति के कारण देर से पूर्ण की गई तथा आई.जी.एस.टी.पी.पी. से दौलताबाद तक 400 के.वी. लाईन के समय पर चालू न करने के कारण समक्रमण में बेमेलपन था। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं को गुणक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली के निष्क्रमण की भावी योजना बनाई जाएगी।

लोड आवश्यकता के मूल्यांकन के बिना एस.एसज के निर्माण

2.1.24 एक एस.एस. के निर्माण के लिए, परियोजना शुरू करने से पूर्व वोल्टेज विनियमों की अनुमत्य सीमाओं के साथ लोड में वृद्धि तथा भविष्य में मांग में प्रत्याशित वृद्धि अनिवार्यत: ध्यान में रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए लोड पूर्वानुमान में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भौतिक और वित्तीय लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, एस.एसज़ और संबद्ध लाईनों के सृजन/उन्नयन के लिए कंपनी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज) से प्रस्ताव प्राप्त करती है।

220 के.वी.एस.एस. बात्ता का निर्माण

2.1.25 यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने 132 के.वी. नरवाना-टोहाना लाईन के एल.आई.एल.ओ. फीडिंग के साथ कलायत स्थित 33 के.वी.एस.एस. के 132 के.वी. तक उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजा। परन्तु स्थान बाधाओं के कारण यह अन्तिम नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने लोड प्रवाह अध्ययन किए बिना बात्ता (कैथल) में नए 220 के.वी.एस.एस. और प्रस्तावित एस.एस. बात्ता में 220 के.वी. नरवाना-कैथल डी./सी. लाईन के एल.आई.एल.ओ. का निर्माण अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2008) और यू.एच.बी.वी.एन.एल. को संबंधित लाईनों के साथ नए 220 के.वी.एस.एस. बात्ता के सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा (जुलाई 2008-जनवरी 2009)।

हमने देखा कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. से कोई प्रस्ताव प्राप्त किए बिना, कंपनी ने ₹ 25.62 करोड़ की लागत पर 220 के.वी.एस.एस. बात्ता तथा ₹ 85 लाख की लागत पर 220 के.वी.एस.एस. बात्ता पर 220 के.वी. नरवाना-कैथल डी./सी. लाईन की एल.आई.एल.ओ. के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए (सितंबर 2009 और मई 2010)। दोनों कार्यों के चालू करने की नियत तिथि क्रमश: 7 सितंबर 2010 और 31 अगस्त 2011 थी। हमने आगे अवलोकित किया कि कंपनी ने इन कार्यों को देने से पहले एस.एस. बात्ता के लिए किसी आधारभूत संचारण प्रणाली की योजना नहीं बनाई थी। बाद में, कंपनी ने आधारभूत संचारण प्रणाली तीन लाईने अनुमोदित की जिनमें से दो लाईनों का प्रस्ताव बेज बनाने के लिए स्थान बाधाओं के कारण दो लाईनें रद्द कर दी गई (जून 2011) और उसे आवृत्त करने के लिए दो और वैकल्पिक लाईनें अनुमोदित कर दी गई। बात्ता 220 के.वी.एस.एस. और संबद्ध लाईनें जुलाई और अगस्त 2011 में चालू की गई, परंतु अभी तक प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं (सितंबर 2012)।

इस प्रकार, लोड आवश्यकता तथा आधारभूत संचारण प्रणाली की योजना के बिना एस.एस. के निर्माण के कारण ₹ 26.47 करोड़ का व्यय अभी तक निष्फल रहा (सितंबर 2012)। इसके अलावा, कंपनी ने ₹ 10.35 लाख⊗ मूल्य के 2.94 एल.यूज़ की कड़ी हानियां उठाई क्योंकि इसके चालू होने के समय से एस.एस. बिना लोड के चल रहा था।

लोड आवश्यकता के बिना एस.एस. के निर्माण से ₹ 26.47 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस में तथ्य स्वीकार करते समय प्रबंधन ने कहा कि संचारण प्रणाली की योजना बनाते समय समुचित अध्ययन किया जायेगा।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

2.1.26 कंपनी का निष्पादन मुख्यत: न्यूनतम रूकावटों के साथ क्वालिटी बिजली की आपूर्ति के लिए इसके ई.एच.टी. संचारण प्रसारण नेटवर्क के दक्ष अनुरक्षण पर निर्भर करता है। एस.एसज़ और लाईनों के परिचालन के दौरान घटक उप-प्रणालियों के भीतर आपूर्ति मांग प्राफाईल की जाती है तथा लाईन हानियां कम करने के लिए और वोल्टेज रूपरेखा सुधार कर बिजली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार योजनाएं शुरू की जाती हैं। ये योजनाएं विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता के संवर्धन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों के प्रस्थापन, अतिरिक्त लाईनों को बिछाने और क्षमता बैंकों के प्रस्थापन के लिए हैं। प्रणाली के परिचालन और अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) के संबंध में कंपनी के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

संचारण क्षमता

2.1.27 उत्पादक स्टेशनों से विद्युत निष्क्रमण और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोड वृद्धि को पूरा करने हेतु कंपनी विभिन्न ई.एच.टी. वोल्टेजों पर लाईनें और एस.एसज़ निर्मित करती है। ट्रांसफार्मर ए.सी. वोल्टेज और करंट को अत्यन्त उच्च दक्षता पर भिन्न वोल्टेज और करंट में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया में न्यूनतम हानि के साथ ए.सी. वोल्टेज में वृद्धि अथवा कमी प्राप्त करने के लिए वोल्टेज स्तर को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यत: 220 के.वी. एस.एसज़ पर किया जाता है। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सृजित संचारण क्षमता (220 के.वी.) तथा संचारित क्षमता (उच्चतम मांग पूरित) नीचे दिए अनुसार हैं:

संचारण क्षमता (एम.वी.ए. में)				
वर्ष	संस्थापित (कंपनी द्वारा प्रयुक्त बी.बी.एम.बी. क्षमता सहित)	मार्जिन की ओर 30 प्रतिशत छोड़ने के बाद	अननुरूप मांग सहित शीर्ष मांग	आधिक्य
1	2	3	4	5=(3)-(4)
2007-08	8,750	6,125	5,458	667
2008-09	9,790	6,853	5,305	1,548
2009-10	10,340	7,238	6,426	812
2010-11	11,690	8,183	6,142	2,041
2011-12	13,130	9,191	7,125	2,066

⊗ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 1.92 एल.यूज़ x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12)।

ऊपर की तालिका से यह अवलोकित किया जा सकता है कि समग्र संचारण क्षमता निष्पादन लेखापरीक्षा में आवृत अवधि के दौरान आवश्यकता से अधिक थी।

अनुरक्षण

करंट ट्रांसफार्मरों (सी.टी.) का निष्पादन

2.1.28 चूंकि करंट ट्रांसफार्मर, विद्युतीय ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क्स के अत्यन्त महत्वपूर्ण और लागत गहन घटकों में से एक है, उनके अनुरक्षण व्यय को कम करते समय उनकी जीवन अवधि दीर्घ करने हेतु विशेष रूचि की आवश्यकता है। सी.टीज़ की परिचालन स्थितियों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए मानक तेल डिसोलवड गैस एनेलेसिस (डी.जी.ए.) जैसे विभिन्न प्रकार के तेल विश्लेषण सामान्यत: किए जाते हैं। सी.टी. रोधन के लिए, एक रोधी तरल और साथ में संसेचित ठोस रोधक का समिश्रण प्रयुक्त किए जाते हैं। इस रोधक प्रणाली की वास्तविक अवस्था के मूल्यांकन के लिए एक डी.जी.ए. का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सी.टी. के भीतर विफलताएं, तरल रोधक के निम्नीकरण की ओर इस प्रकार ले जाती हैं कि गैसों का मिश्रण विफलता के कारणों की पहचान करने में समर्थ बनाता है। नीचे की तालिका 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षो के दौरान ट्रांसफार्मरों की विफलता की स्थिति इंगित करती है:

वर्ष	वर्ष के आरंभ में परिवर्तकों की संख्या	विफल परिवर्तकों की संख्या	मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय (₹ करोड़ में)	क्षति दर (प्रतिशत में)
2007-08	641	24	6.98	3.74
2008-09	677	21	5.91	3.10
2009-10	741	23	9.79	3.10
2010-11	754	20	6.67	2.65
2011-12	845	29	10.59	3.43

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कंपनी के पास अप्रैल 2007 को विभिन्न क्षमताओं के 641 करंट ट्रांसफार्मर (सी.टी.) थे। पांच वर्षो के दौरान, 117 की संख्या में सी.टी. क्षतिग्रस्त हो गए जिनमें से 69 सी.टी. (60 प्रतिशत) 132/11 के.वी. क्षमता के थे एच.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेशों में भी दोहराया था (2007-08 से 2011-12 कि कंपनी) शून्य क्षति दर पर लक्ष्य के लिए रोधात्मक अनुरक्षण सारणी को सख्ती से लागू तथा कार्यान्वयन करे।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि ट्रांसफार्मरों की क्षति दर 2007-08 से 2010-11 तक 3.74 प्रतिशत से 2010-11 में 2.6 प्रतिशत तक कम हो गई परंतु 2011-12 में इसकी असमान्य वृद्धि 132/11 के.वी.ई.सी.ई. के बने ट्रांसफार्मरों की क्षति के कारण थी जिनमें कुछ अंतर्निहित डिजाइन/विनिर्माण त्रुटि थी। कंपनी ने अब ट्रांसफार्मरों की रोधात्मक अनुरक्षण सारणी की समीक्षा की है तथा कड़े अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए नई सारणियां और मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

संचारण हानियां

2.1.29 जब ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से उपभोक्ताओं तक संचारण तथा वितरण (टी. एंड डी.) नेटवर्क के द्वारा ले जाई जाती है, कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टी. एंड डी. हानियां कहा जाता है। वितरण हानि, उत्पादक स्टेशन/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा और डिस्कोमज को भेजी गई ऊर्जा का अंतर है। 2007-08 से 2011-12 में अन्तर्राज्यीय संचारण हानियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरणी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	एच.बी.पी.एन. बस यूनिटों में प्राप्त ऊर्जा (एम.यू.ज में)	26,321.80	27,711.50	32,885.70	34,277.20	36,363.13
2	संचारित निवल ऊजा	25,688.80	27,017.90	32,024.20	33,380.10	35,358.38
3	संचारण में हानि (एम.यूज में) (1)-(2)	633.00	693.60	861.50	897.10	1,004.75
4	संचारण हानि (प्रतिशत में)	2.40	2.50	2.62	2.62	2.76
5	एच.ई.आर.सी. मानकों के आधिक्य में संचारण हानि (प्रतिशत में)	2.60	2.10	2.10	2.10	2.10
6	एच.ई.आर.सी. मानकों के अधिक्य में संचारण हानि (प्रतिशत में) (क्र.सं. 4 - क्र.सं. 1/100)	-	0.40	0.52	0.52	0.66
7	एच.ई.आर.सी. मानकों के अधिक्य में संचारण हानि (एम.यूज में) (क्र.सं. 4 - क्र.सं. 1/100)	-	110.85	171.01	178.24	240.00
8	ऊर्जा क्रय लागत प्रति यूनिट दर ₹ में		3.06	3.49	3.34	3.03
9	संचारण हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में)		33.92	59.68	59.53	72.72

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि संचारण हानियां बढ़ती प्रवृति पर थी तथा 2008-09 से 2011-12 तक एच.ई.आर.सी. मापदंड से ₹ 225.85 करोड़ मूल्य की अधिक थी। अत्यधिक संचारण हानियां, कंपनी द्वारा डिस्कोमज के माध्यम से उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दी गई। अत: कंपनी की अकुशलता के लिए उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ा था।

2008-12 के दौरान संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से ₹ 225.85 करोड़ मूल्य की बढ़ गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि संचारण हानियां अपरिहार्य हैं और हरियाणा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में निम्नतर थी। यह भी बताया गया कि एच.ई.आर.सी. को इन मापदंडों को अधिक व्यवहारिक और वास्तविक बनाने के लिए समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। यह बिंदु रहता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत अवधि के दौरान संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थी।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का अनुरक्षण तथा एस.एल.डी.सी. का निष्पादन

2.1.30 उत्पादक स्टेशनों से डिस्कोमज/उपभोक्ताओं को विद्युत के सुचारू निष्क्रमण के लिए संचारण और ग्रिड प्रबंधन अनिवार्य कार्य हैं। ग्रिड प्रबंधन, विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययता और दक्षता का ध्यान रखने के लिए अन्तर्सम्बद्ध विद्युत प्रणाली में प्रतिक्षण विद्युत संतुलन को सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबंधन का प्रचालन, सी.ई.आर.सी. द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिए मानक/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पांच क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक के पास संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, (आर.एल.डी.सी.) है। उत्तरी क्षेत्र लोड डिसपैच केन्द्र (एन.आर.एल.डी.सी.) दिल्ली, का एक घटक हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), सेवाह (पानीपत), राज्य में विद्युत प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (10 दिसंबर 2010) कि एस.एल.डी.सी. कंपनी द्वारा परिचालित किया जाएगा। एस.एल.डी.सी. का कोई क्षेत्र लोड डिस्पैच नहीं है तथा दो उप राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (उप एल.एल.डीज) दादरी और नरवाना द्वारा डाटा अधिग्रहण और एस.एल.डी.जी. को हस्तांतरण और 400/220/132 के.वी. और 66 के.वी. उपकरणों के पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए सहायित है। एस.एल.डी.सी. बिजली के अन्तर्राज्य संचारण में रत लाईसैंसधारियों से ऐसी फीस और शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत करता है जैसा कि एच.ई.आर.सी. द्वारा विनिर्दिष्ट है।

लोड मॉनीटरिंग के लिए मूलभूत संरचना

2.1.31 सभी एस.एसज के लिए, ग्रिड मापदंडों के अनुसार संचारण प्रणाली की दक्षता तथा सभी लोड डिस्पैच केंद्रों में आपातकाल के दौरान लोड की मॉनीटरिंग के लिए रिमोट टर्मिनल इकाईयां/एस.एस. प्रबंध प्रणालियां (आर.टी.यूज/एस.एम.एसज) अनिवार्य है। कंपनी के पास 400/220/132 के.वी. के 219 एस.एसज और 18 जनरेटर थे जिनमें से केवल 43 एस.एसज (19.63 प्रतिशत) और 18 जनरेटरों (88.89 प्रतिशत) को दक्ष ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए वास्तविक समय डाटा अंकित करने के लिए आर.टी.यूज. उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार, एस.एल.डी.सी., अपने एस.एसज और जनरेटरों के क्रमश: 19.63 तथा 88.89 प्रतिशत की सीमा तक आर.टी.यूज एस.एम.एसज के साथ संयोजित थे जो संचारण प्रणाली की दक्षता को मॉनीटर करने और वास्तविक समय के आधार पर लोड मॉनीटरिंग के लिए इसकी क्षमता को प्रतिबद्ध कर रहे थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि कंपनी ने पी.जी.सी.आई.एल. के साथ संचार प्रणाली और सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अगले तीन-चार वर्षों के समय में अनुकूल एसएसज पर आर.टी.यूज उपलब्ध करवाने के लिए एक अनुबंध किया।

आवृति प्रबंधन के द्वारा ग्रिड अनुशासन

2.1.32 ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के कुशल कार्यचालन के लिए संचारण उपयोगिताओं द्वारा ग्रिड अनुशासन का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। ग्रिड के सभी घटक सदस्यों को 49 और 50.5 हर्टज (एच.जेड) के बीच प्रणाली आवृति अनुरक्षित रखने की आशा की जाती है

(अप्रैल 2009 से 49.2 और 50.2)। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे क्षमताओं के उत्पादन में कमी, उच्च मांग, लोड उत्पादन संतुलन बनाए रखने में ग्रिड अननुशासन, अपर्याप्त लोड मानिटरिंग और प्रबंधन, के कारण ग्रिड आवृति, अनुमत आवृति स्तरों से नीचे या ऊपर चली जाती है। ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए एन.आर.एल.डी.सी. तीन प्रकार के उल्लंघन संदेश जारी करता है (ए.बी.सी.)। 'क' प्रकार तब जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम है तथा अधिक निकासी 50 एम.डब्लयू से अधिक या सारणी से 10 प्रतिशत कम हैं जो भी कम है। 'ख' प्रकार संदेश तब जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम हो तथा अधिक निकासी दस मिनटों से अधिक के लिए 50 और 200 एम.डब्लयू के मध्य हो और पांच मिनटों से अधिक के लिए 200 एम.डब्लयू हो। 'ग' प्रकार (गंभीर प्रकृति) 'ख' प्रकार संदेश के जारी होने के 15 मिनट बाद जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम जारी रहती है तथा अधिक निकालना 100 एम.डब्ल्यू या सारणी का 10 प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम है।

हमने अवलोकित किया कि 2009-10 में प्राप्त 20 'ग' प्रकार के संदेश 2010-11 में 31 तक बढ़ गए और ये 2011-12 में 29 तक कम हो गए। 'ग' प्रकार के संदेश की प्राप्ति में वृद्धि, ग्रिड अनुशासन सूचित करती है जिसके कारण, सी.ई.आर.सी. द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण किया गया जैसा नीचे वर्णित है:

ग्रिड अनुशासन

2.1.33 ग्रिड अनुशासन के अनुरक्षण के लिए, सी.ई.आर.सी., निम्नतर आवृति पर ग्रिड से बिजली की अधिक निकासी पर इस प्रकार ग्रिड को जोखिम में डालते हुए स्वत: कार्यवाही करती है। सी.ई.आर.सी., को ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन पर, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 29 (6) तथा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति संदेश ₹ 1 लाख के जुर्माने के लगाने हेतु शक्ति प्राप्त है। सी.ई.आर.सी. ने अपने आदेश (सितंबर 2011) में बताया कि हरियाणा लघु अवधि के अंदर विद्युत बेच रहा है तथा साथ-साथ अप्रैल 2010 के दौरान ग्रिड से विद्युत अधिक निकाल रहा है तथा इस प्रकार एन.आर.एल.डी.सी. के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण ₹ आठ लाख का जुर्माना लगाया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि 'ग' प्रकार से संदेशों में वृद्धि डिस्कोमज द्वारा अत्यधिक निकालने के कारण थी और जुर्माना डिस्कोमज से वसूल किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एल.डी.सी. बिजली अधिनियम 2003 के निबंधन में ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और इस पर जुर्माना लगाया गया है।

बैकिंग डाउन इंस्ट्रक्शन (बी.डी.आई.)

2.1.34 जब आवृति आदर्श सीमाओं को पार करती है अर्थात् स्थिति जहां उत्पादन अधिक है और निकालना कम है (50 एच.जेड से ऊपर आवृति पर) एस.एल.डी.सी. एकीकृत ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने तथा राज्य में विद्युत प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्पादन कम करने के लिए जनरेटरज को बी.डी.आई. जारी करके कार्यवाही करता है। एस.एल.डी.सी. अनुदेश अनुसरित करने में जनरेटरज की विफलता ग्रिड कोड का उल्लंघन संघटित करेगी तथा बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अंतर्गत ₹ पांच लाख से अनधिक जुर्माना अपरिहार्य हो जायेगा।

कंपनी ने 2007 - 12 के दौरान 110 बी.डी.आईज जारी किए। इनमें से पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) से संबंधित 249.63 एम.यूज के लिए केवल 49 बी.डी.आई. लेखापरीक्षा में निर्धारित किए जा सके और बाकी बी.डी.आईज उचित अभिलेख के अननुरक्षण के कारण निर्धारित नहीं किए जा सके। तथापि, एच.पी.जी.सी.एल. के अभिलेखों के अनुसार, इसने पी.टी. पी.एस., पानीपत के संबंध में 548.04 एम.यूज के लिए बी.डी.आईज कार्यान्वित किए थे। इस प्रकार, कंपनी जारी किए गए बी.डी.आइज के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रही थी और जारी किए गए बैकिंग डाउन संदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई यंत्रावली नहीं बनाई थी।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने भी शिकायत की थी कि एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बैकिंग डाउन संदेशों के अकार्यान्वयन के कारण ग्रिड में अधिक ऊर्जा बहुत निम्न मूल्यों पर पम्प की गई जिसके परिणामस्वरूप उच्च आवृति के दौरान उत्पादित मंहगी विद्युत के कारण अतिरिक्त भुगतान के प्रति डिस्कोमज को ₹ 4.84 करोड़ की हानि हुई (26 जून 2011 तथा 08 जुलाई से 10 जुलाई 2011)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि बैकिंग डाउन संदेश हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) द्वारा दिए गए थे जो आगे एच.पी.जी.सी.एल. को संप्रेषित किए जा रहे थे। इसलिए संपूर्ण अभिलेख एच.पी.जी.सी.एल. प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है। पूर्ण बैकिंग डाउन, तकनीकी समस्याओं जैसे कोयले की घटिया गुणवत्ता और तेल का अधिक प्रयोग इत्यादि, के कारण एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा नहीं किए जा सकते। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एस.एल.डी.सी. को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अंतर्गत ग्रिड अनुशासन अनुरक्षित करने के लिए डिस्कोमज को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

आपदा प्रबंधन

2.1.35 आपदा प्रबंधन (डी.एम.) का लक्ष्य, प्रणाली पर मेजर ब्रेक डाउन का प्रभाव कम करना और इसे कम से कम संभव समय में दुबारा शुरू करना है। सर्वोत्तम प्रचलन के अनुसार, मेजर फेल्यर की घटना में संचारण प्रणाली के तत्काल पुनः चालू करने के लिए सभी विद्युत उपयोगिताओं द्वारा डी.एम. प्रस्थापित किया जाना चाहिए। इसका प्रचालन आपात पुनः स्थापन प्रणाली, डी.जी.सेटस वाहन, अग्निशमन उपकरण, निपुण और विशेषज्ञ मानव शक्ति नियोजित करके किया जाता है।

आपदा प्रबंधन केन्द्र, राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, नई दिल्ली आपदाओं के मामले में केन्द्रीय कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करता है। डी.एम. कार्यक्रम के भाग के रूप में, कंपनी द्वारा ब्लैक स्टार्ट परिचालनों के दौरान उत्पादक स्टेशन प्रारम्भ करने हेतु नकली अभ्यास नियमित अन्तरालों पर किया जाना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि लेखापरीक्षा में चयनित दो संचारण परिमंडलों (करनाल और रोहतक) में से संचारण परिमंडल रोहतक ने 2007 - 08 से 2011 - 12 में ब्लैक स्टार्ट[⊗] परिचालन के मामले में उत्पादक स्टेशन को प्रारम्भ करने के लिए कोई नकली अभ्यास नहीं किया था। तथापि, संचारण परिमंडल, करनाल ने मार्च 2012 को समाप्त दो वर्षों के दौरान एक अभ्यास आयोजित किया। इस प्रकार, संचारण परिमंडल आपदा प्रबंधन के लिए तैयार नहीं थे।

⊗ आंशिक अथवा कुल ब्लैक आउट से ठीक होने हेतु आवश्यक प्रक्रिया।

एस.एसज में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

2.1.36 कंपनी के पास आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए जिसके लिए सभी 220 के.वी. एस.एसज के साथ डीजी. सैट उपलब्ध होने चाहिए।

हमने देखा कि कंपनी के पास मार्च 2012 को 220 के.वी. के 51 एस.एसज थे। दो परिमंडलों (टी.सी. करनाल और रोहतक) की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 22 एस.एसज में (17 एस.एसज करनाल में तथा 5 एस.एसज रोहतक में) केवल 13 डी.जी. सैट (11 करनाल में तथा दो रोहतक में) उपलब्ध थे। आगे, कंपनी ने दोषपूर्ण प्रतिष्ठापनों की पहचान नहीं की थी जहां मैटल डिटेक्टर प्रतिष्ठापित किए जा सके या जहां ध्वसन के परिहार के लिए सुरक्षा बलों को स्थल दिया जा सके। इस प्रकार, कंपनी के पास अपने प्रतिष्ठापनों के लिए कोई सुरक्षा संस्थापन नहीं था। हमने आगे, अवलोकित किया कि डी.एम. के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण, किरोड़ी के 400 के.वी. एस.एस. पर ध्वसन के कारण कंपनी को ₹ 11.92 लाख की हानि कायम रखनी पड़ी।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि एस.एसज पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा

2.1.37 संचारण हानियों को निर्धारित करने और कम करने हेतु ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा आवश्यक है। संचारण हानियों की गणना मीटर रीडिंग उपकरणों से परिकलित की जाती हैं, रीडिंग जेनरेटरों से संचारण (जी.टी.) और संचारण से वितरण (टी.डी.) बाऊंड्री मीटरिंग प्वाइंट से ली जाती है।

मार्च 2012 को टी.डी. (781) और जी.टी. (33) के बीच मीटरिंग प्वाइंटस के रूप में 814 ईटरफेसिज बाऊंड्री मीटरिंग प्वाइंट थे। 25 जी.टी. प्वाईटस स्पेशल एनर्जी मीटरस (एस.ई.एमज) के साथ प्रदान किए गए थे और 8 जी.टी. प्वाइंटस मैकेनिल मीटरज के साथ तथा 715 टी.डी. प्वाइंटस एस.ई.एमज के साथ प्रदान किए गए थे तथा शेष 66 मकैनिकल श्रेणी मीटरज थे। कंपनी ने संचारण हानियां कंपनी की बस बार पर प्राप्त और वास्तव में डिस्कोमज को संप्रेषित ऊर्जा के बीच अंतर के आधार पर परिकलित की।

संचारण हानियों के विश्लेषण के लिए ऊर्जा केन्द्र 2002 में प्रस्थापित किया गया था जिसमें केवल अन्त: उपयोगिता, अन्त: स्थापित जेनरेटरों और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के ऊर्जा लेखे तैयार किए जाते थे। ऊर्जा केन्द्र ने ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की क्योंकि इस संबंध में कोई नियमावली/मार्गनिर्देश नहीं हैं। कंपनी ने, 2008-09 के लिए ए.आर.आर. भरते समय जांच मीटरों के साथ मुख्य मीटरों में दर्ज की गई ऊर्जा की परिशुद्धता की जांच द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना प्रस्तुत की थी। तथापि, इसके कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए (सितंबर 2012)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि शेष 37 टी.डी. बिदुंओं पर एस.ई.एम. शीघ्र चालू किए जाने संभाव्य हैं। एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में प्रबंधन ने भी बताया कि अनुरूप लाभ के बिना वित्तीय उलझने ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित डाटा के संग्रहण के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना के प्रतिष्ठापन रोकती हैं। तथापि, उन्होंने कार्यान्वयन के लिए सुझावों पर कार्यवाही नोट की।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय स्थिति

2.1.38 एन.ई.पी. 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक वित्तीय टर्न अराऊंड और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना था। 2011-12 को समाप्त पांच वर्षों के लिए कंपनी की संचारण गतिविधियों से संबंधित वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क. देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	773.88	909.16	1158.54	1505.41	1777.17
(पूंजीगत अनुदान सहित परन्तु मूल्य ह्रास आरक्षण और वर्तमान लाभ और हानि रहित)	77.35	89.09	96.47	100.27	354.35
लाभ और हानि लेखा	0.00	0.00	63.84	251.46	140.07
उधार	2378.79	2707.73	3538.11	3964.32	4402.69
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (सी.एल.)	547.54	754.83	793.25	859.91	586.41
कुल (क)	**3777.56**	**4460.81**	**5650.21**	**6681.37**	**7260.69**
ख. परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक	2057.18	2368.56	2910.62	3243.99	4452.47
घटा: मूल्यह्रास	462.00	520.05	644.90	784.95	942.28
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	1595.18	1848.51	2265.72	2459.04	3510.19
पूंजीगत कार्य प्रगति में (सी.डब्ल्यू. आई.पी.)	537.56	924.56	1456.11	2139.12	1561.73
निवेश	1007.88	1013.48	1013.48	1013.48	1013.48
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	536.71	652.17	914.90	1069.73	1175.29
विविध व्यय	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
संचित हानियां	100.15	22.09	0.00	0.00	0.00
कुल (बी)	**3777.56**	**4460.81**	**5650.21**	**6681.37**	**7260.69**
ऋण:[Y] साम्या	3.17:1	2.77:1	2.68:1	2.13:1	1.94:1
निवल मूल्य[d]	750.98	976.16	1318.85	1857.14	2271.59
नियोजित पूंजीगत	2121.91	2670.41	3843.48	4807.98	4485.51
कर पूर्व लाभ	161.70	60.78	127.30	234.31	175.10
ब्याज और वित्त प्रभार	197.81	199.81	231.31	278.29	306.11
कुल रिटर्न	**359.51**	**260.59**	**358.61**	**512.60**	**481.21**
नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता	16.94	9.76	9.33	10.66	10.73

Y ऋण में प्रतिभूत ऋण एवं अप्रतिभूत ऋण सम्मिलित है।

d नियोजित पूंजी का अर्थ है स्थाई परिसम्पत्तियां + पूंजीगत कार्य प्रगति में निवल कार्यचालन पूंजी।

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के 2007-08 में ₹ 100.15 करोड़ की हानि संचित की थी। 2009-10 में इसने ₹ 63.84 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो 2010-11 में ₹ 251.46 करोड़ तक आगे बढ़ गया परन्तु 2011-12 में ₹ 140.07 करोड़ तक पुन: कम हो गया। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान साम्या में ₹ 773.86 करोड़ (2007-08) से ₹ 1,777.17 करोड़ (2011-12) तक अर्थात् उधारों में 85 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 130 प्रतिशत (2007-08 में ₹ 378.78 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4402.69 करोड़) वृद्धि के कारण कंपनी का ऋण साम्या अनुपात 3:11:1: से 1:94:1 तक घट गया।

कार्य प्रगति में पूंजी में ₹ 537.56 करोड़ (2007-08) से ₹ 1,561.73 करोड़ (2011-12) तक वृद्धि तथा वर्तमान देयताओं में ₹ 547.54 करोड़ (2007-08) से ₹ 586.41 करोड़ (2011-12) तक वृद्धि के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता 16.94 (2007-08) से 10.73 (2011-12) तक कम हो गई।

मुख्यत: अग्रिम में भुगतान किए गए आयकर/टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स (टी.डी.एस.) में ₹ 131.93 करोड़ तक; डिस्कोमज से संचारण शुल्कों के प्रति वसूलनीय ₹ 445.82 करोड़ तथा पी.जी.सी.आई.एल. से वसूलनीय ₹ 44.87 करोड़ तक तीव्र वृद्धि के कारण वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम ₹ 536.71 करोड़ से ₹ 1175.19 करोड़ तक बढ़ गए।

कार्यचालन परिणाम

2.1.39 राजस्व वसूली, निवल आधिक्य/हानि तथा उपार्जन और संचारण की प्रति इकाई लागत जैसे कार्यचालन परिणामों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	आय					
(क)	संचारण और एस.एल.डी.सी.	644.05	657.46	776.6	1,019.11	919.31
(ख)	ब्याज/सबसीडी सहित अन्य आय	43.23	105.41	37.48	65.67	71.63
	कुल आय	**687.28**	**762.87**	**814.08**	**1,084.78**	**990.94**
2	**संचारण**					
(क)	प्रतिस्थापित क्षमता (एम.वी.ए. में)	16,268.17	18.375.50	20,582.00	24,097.50	27,062.00
(ख)	उत्पादक इकाईयों से प्राप्त विद्युत (एम.यूज में)	13,189.71	15,835.08	16,522.45	17,535.31	20335.27
(ग)	क्रय की गई विद्युत (एम.यूज में)	13,132.09	11,876.42	16,363.25	16,741.89	16027.76
(घ	एच.वी.पी.एन. बस पर प्राप्त कुल विद्युत (एम.यूज)	26,321.80	27,711.50	32,885.70	34,277.20	36,363.13
(ड.)	संचारण में हानियां (एम.यूज में)	633.00	693.60	861.50	897.1	1,004.75
(च)	संचारित निवल विद्युत (ख) + (ग) - (ड)	25,688.80	27,017.90	32,024.20	33,380.10	35,358.38

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
3	व्यय					
(क)	निश्चित लागत					
(i)	कर्मचारी लागत	242.95	344.47	329.40	356.62	224.45
(ii)	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	7.86	9.19	9.12	10.98	11.76
(iii)	मूल्यह्रास	53.71	61.96	122.41	138.72	159.90
(iv)	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार (पूंजीकरण के बाद निवल)	195.24	197.77	228.98	272.23	298.33
(v)	अन्य व्यय	36.25	6.51	3.61	58.44	108.85
	कुल निश्चित लागत	**536.01**	**619.90**	**693.52**	**836.99**	**803.29**
(ख)	**कुल परिवर्तनीय लागत**					
(i)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	10.90	14.44	13.06	12.00	12.56
	कुल परिवर्तनीय लागत	**10.90**	**14.44**	**13.06**	**12.00**	**12.56**
ग.	**कुल लागत 3 (क) + (ख)**	**546.91**	**634.34**	**706.58**	**848.99**	**815.85**
4	उगाही (₹ प्रति इकाई) 1 (क)/2 (घ)	0.24	0.24	0.24	0.30	0.25
5	निश्चित लागत (₹ प्रति इकाई)	0.20	0.22	0.21	0.24	0.22
6	व्यवहार्य लागत (₹ प्रति इकाई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कुल लागत ₹ प्रति इकाई (5 + 6)	0.20	0.22	0.21	0.24	0.23
8	अंशदान (4 + 6) (₹ प्रति इकाई)	0.24	0.24	0.24	0.30	0.22
9	लाभ (+) हानि (-)(4 + 7) (₹ प्रति इकाई)	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति इकाई वसूली 2007-08 में ₹ 0.24 से 2010-11 में ₹ 0.30 तक बढ़ गई परंतु 2011-12 में ₹ 0.25 तक कम हो गई जबकि तदनुरूप अवधि के दौरान प्रति इकाई लागत ₹ 0.20 से ₹ 0.23 (15 प्रतिशत) तक बढ़ गई। आगे, प्रति इकाई अंशदान ₹ 0.24 से 0.30 तक बढ़ गया था परंतु 2011-12 में ₹ 0.22 तक कम हो गया।

कर्मचारी लागत, ब्याज और वित्तीय प्रभार (पूंजीकरण के बाद निवल) और मूल्यह्रास ने 2011-12 में लागत के मुख्य तत्व संघटित किए जिसने उस वर्ष में कुल लागत का क्रमश: 27.51, 36.57 और 19.60 प्रतिशत निरूपित किया। दूसरी ओर, संचारण और एस.एल.डी.सी. से राजस्व ने 2007-12 में राजस्व के मुख्य तत्व संघटित किए जो कुल राजस्व के 86 से 93 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थे।

परिचालनों की लागत की वसूली

2.1.40 2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान प्रति इकाई लाभ नीचे ग्राफ में दिया गया है:

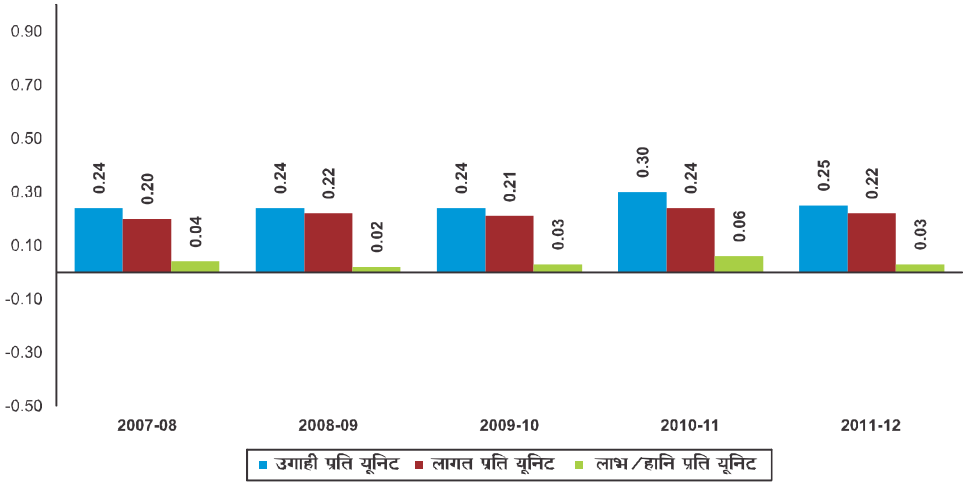

लागत के तत्व

2.1.41 2011-12 के लिए लागतों के मुख्य तत्वों की विघटन प्रतिशतता नीचे दी गई है:

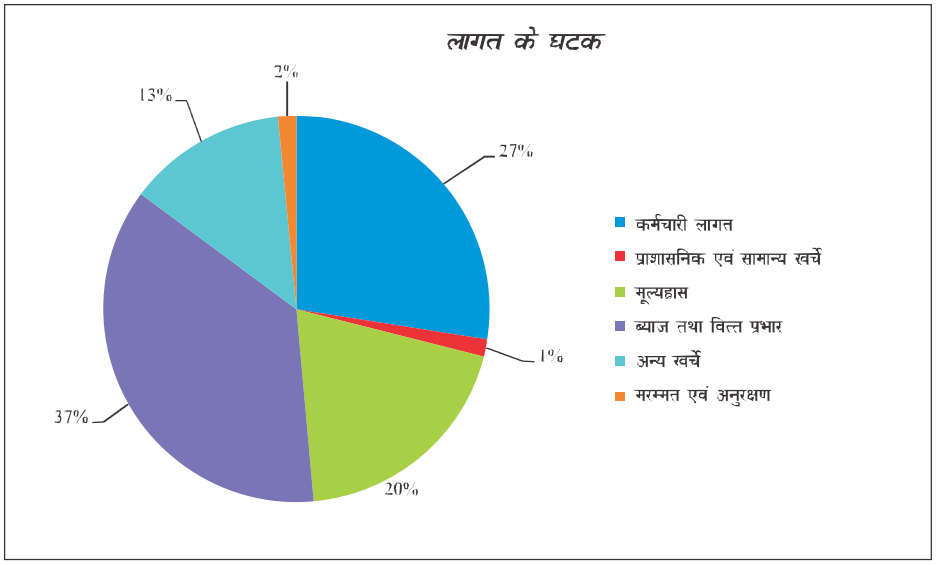

राजस्व के तत्व

2.1.42 संचारण प्रभार राजस्व के मुख्य तत्व संघटित करते हैं। 2011-12 के लिए राजस्व की विघटन प्रतिशतता नीचे पाई चार्ट में दी गई है।

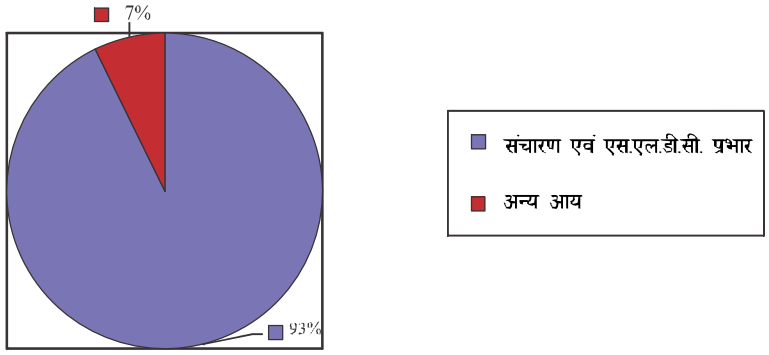

ब्याज की उच्चत्तर दर पर ऋण का आहरण

ब्याज की उच्चतर दर पर ऋण के आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार हुआ।

2.1.43 कंपनी ने, संचारण प्रणाली के सृजन के लिए 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹ 1,250 करोड़ के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया (अगस्त 2009)। मार्च 2010 में पहली किश्त निर्मुक्त की गई। इतने में, कंपनी ने विश्व बैंक के माध्यम से निधिकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में ₹ 313.41 करोड़ मूल्य के सात कार्य आदेश दे दिए (जून-अगस्त 2009) और कैश क्रेडिट सीमा का लाभ प्राप्त कर उपयोग करते हुए और बैंको से उच्चतर ब्याज दर पर लघु अवधि ऋण आहरित करके ठेकेदारों को ₹ 31.03 करोड़ का मोबीलाइजेशन अग्रिम का भुगतान कर दिया (सितंबर 2009-फरवरी 2010)। हमने अवलोकित किया कि विश्व बैंक से निधि व्यवस्था के साथ कार्य आदेश स्थापन समक्रमण न करने के कारण कंपनी को विश्व बैंक से लिए गए ऋण पर दर की तुलना में उच्चतर दर पर आहरित ऋण पर ₹ 0.94 करोड़[γ] का अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि आर.जी.टी.पी.एस., से विद्युत के निष्क्रमण के कारण खेदड़ परियोजनाएं विश्वबैंक द्वारा ऋण के संवितरण से पहले दी गई थी। तथापि, तथ्य रहा कि कंपनी निधिकरण एजेंसी के साथ कार्य आदेश स्थापन समक्रमित करने में विफल रही।

हुडा दावों की अवसूली

2.1.44 संचारण प्रणाली के परिचालन, अनुरक्षण और विकास के लिए, कंपनी ने विभिन्न एजैंसियों से निधियां उधार ली थी। उधारों की कटौती करने के विचार से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव (पी.एस.सी.एस.) के साथ बैठक (27 जुलाई 2000) में यह निर्णय लिया गया था कि हुडा नए एस.एसज के लिए प्रावधान करेगा और इस एस.एसज की लागत का भुगतान करेगा।

γ देना बैंक (7.5 प्रतिशत) तथा विश्व बैंक (0.75 प्रतिशत) के मध्य ब्याज की दर में अंतर के आधार पर परिकलित।

27 नवंबर 2000 (कंपनी को जनवरी 2001 में बताया गया) को हुडा ने निर्णय लिया कि यह केवल उन एस.एसज की लागत वहन करेगा जिनका सृजन 27 नवंबर 2000 के बाद किया गया। तदन्तर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हुडा द्वारा आयोजित बैठकों (16 मई 2006 और अप्रैल 2008) में यह निर्णय लिया गया कि 220/132 के.वी. एस.एसज की लागत कंपनी द्वारा हुडा के साथ 50:50 अनुपात में शेयर की जाएगी और 66/33 के.वी. एस.एसज और 132 के.वी. एस.एसज की समग्र लागत हुडा के द्वारा वहन की जाएगी यदि वे सिर्फ हुडा के लिए हों।

हुडा के साथ दावे प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 223.88 करोड़ का अवरोध हुआ तथा ₹ 20.28 करोड़ का वार्षिक ब्याज भार हुआ।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने हरियाणा में एस.एसज और उनकी संबंद्ध संचारण लाईनों का निर्माण हुडा द्वारा अधिगृहीत/विकसित क्षेत्र पर नवंबर 2000 के बाद किया था और नवंबर 2000 से मार्च 2012 तक ₹ 223.88 करोड़ लगाए थे। तथापि, कंपनी ने हुडा के साथ दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किए। ₹ 144.05 करोड़ का पहला आंशिक दावा इस तथ्य के बावजूद कि लागत भागीदारी करने का निर्णय 2000 के दौरान लिया गया था, केवल फरीदाबाद और गुड़गांव टी.सी. (एन.एस.एसज सहित जो नवंबर 2000 से पहले सृजित किए गए) के संबंध प्रस्तुत किया गया था। हुडा द्वारा यह दावा इंगित करते हुए वापस कर दिया गया कि दावे 27 नवंबर 2000 की बैठक, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हुडा केवल उन एस.एसज जो 27 नवंबर 2000 के बाद सृजित किए गए थे, के सृजन की लागत वहन करेगा, के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तत्पश्चात्, कंपनी ने ₹ 223.88 करोड़[∝] के दावे पुन: प्रस्तुत किए (जनवरी/नंवबर, 2011)। कंपनी द्वारा अपने दावों के लिए अनुसरण के बावजूद हुडा द्वारा अभी तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामत: ₹ 223.88 करोड़ की कंपनी की निधियां अवरूद्ध हो गई थी, इसके अतिरिक्त इसे ₹ 20.28[δ] करोड़ का वार्षिक ब्याज भार वहन करना पड़ा था।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने मामले का अनुसरण करने का आश्वासन दिया।

शुल्क दर निर्धारण

2.1.45 कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता, उनकी परिचालन आवश्यकताओं, वित्तपोषण हेतु परिचालनों से आधिक्य के उत्पादन (उचित रिर्टनस सहित) और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रचलनों को अपनाकर भावी पूंजीगत विस्तारण कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। कंपनी के लिए राजस्व संग्रहण निधियों के सृजन का मुख्य साधन है। शुल्क दर से संबंधित मामले यहां नीचे चर्चित हैं:

कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु संबंधित वर्ष के प्रारम्भ से 120 दिन पहले ए.पी.आर. प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एच.ई.आर.सी. कंपनी द्वारा फाइल किया गया आवेदन ऐसे संशोधनों/शर्तो के साथ जो न्यायसंगत और उचित मानी जाएं और जनता तथा अन्य हिस्सेदारों से सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद स्वीकार करता है। नीचे की तालिका ए.आर.आर. फाइल करने की देय तिथि, फाइल करने की वास्तविक तिथि, शुल्क दर याचिका के अनुमोदन की

∝ नवंबर 2000 के बाद सृजित एस.एस. की लागत निरूपित करते हुए।

δ 2011-12 के दौरान 9.08 प्रतिशत के ब्याज की भारित औसत दर के आधार पर परिकलित।

तिथि और संशोधित शुल्क दर की प्रभावी तिथि दर्शाती है।

वर्ष	फाई करने की देय तिथि	फाइल करने की वास्तविक तिथि	दिनों में विलंब	अनुमोदन की तिथि	प्रभावी तिथि
2007-08	10 नवम्बर 2006	8 दिसम्बर 2006	28	8 मई 2007	1 अप्रैल 2007
2008-09	30 नवम्बर 2007	30 नवम्बर 2007	-	23 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2008
2009-10	30 नवम्बर 2008	28 नवम्बर 2008	-	18 मई 2009	1 अप्रैल 2009
2010-11	30 नवम्बर 2009	30 नवम्बर 2009	-	16 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2010
2011-12	30 नवम्बर 2010	6 दिसम्बर 2010	6	26 अप्रैल 2011	1 अप्रैल 2011

एच.ई.आर.सी. द्वारा ब्याज के अनुमत न करने के कारण हानि

2.1.46 नीचे दी गई तालिका मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज और एच.ई.आर. द्वारा अपने ए.आर.आर. आदेशों में पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण पर अनुमत ब्याज की राशि चित्रित करती है:

(₹ करोड़ में)

ए.आर.आर. का वर्ष	एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत संचारण कार्यों के ऋणों पर ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत पूंजीगत संचारण कार्यों के ऋणों पर ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज
2007-08	71.94	58.63	13.31
2008-09	82.39	62.16	20.23
2009-10	107.04	75.26	31.78
2010-11	171.24	76.82	94.42
2011-12	162.42	103.35	59.07
कुल	595.03	376.22	218.81

एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमोदित पूंजीगत कार्यों पर ₹ 218.81 करोड़ के ऋण पर ब्याज अनुमत नहीं किया गया।

तालिका से यह स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु कंपनी द्वारा ए.आर.आर. प्रस्ताव में अननुमोदित कार्यों के समावेश के कारण ₹ 218.81 करोड़ की राशि के पूंजीगत संचारण कार्यों के लिए ऋणों पर ब्याज एच.ई.आर.सी. ने अस्वीकार कर दिया था। एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 के ए.आर.आर. आदेश में, उनकी निवेश योजना में समाविष्ट सभी पूंजीगत कार्यों के लिए अनुमोदन लेने हेतु निर्देश की पुर्नरावृत्ति के बावजूद एच.वी.पी.एन.एल. ने उनके वित्त प्रबंध को सुनिश्चित किए बिना कार्यों को लेना जारी रखा, जिस कारण पूंजीगत उधारों पर ₹ 218.81 करोड़ के ब्याज की अस्वीकृति हुई। ₹ 218.81 करोड़ के ब्याज की राशि अन्यथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान ए.आर.आर. के माध्यम से वसूलनीय थी। ऋणों पर ब्याज के अनुमत न होने के कारण पूंजीगत व्यय को कार्यचालन पूंजीगत ऋणों के माध्यम से निधिकृत करना पड़ा था जिसका कंपनी की लाभकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का अप्रस्तुतीकरण

2.1.47 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा बिजली का हिस्सा है जो प्रत्यावर्ती करंट उपकरण के विद्युतीय और चुबंकीय क्षेत्रों को संस्थापित और संपोषित करता है। लाभग्राहियों (डिस्कोमज/लघु/दीर्घावधि ओपन एक्सेस[δ] उपभोक्ता) से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आशा की जाती है ताकि वे ई.एच.वी. ग्रिड से विशेषत: निम्न वोल्टेज स्थिति अधीन, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्राप्त न करें।

हमने अवलोकित किया कि पी.जी.सी.आई.एल., 2002 से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के अधिक/कम वोल्टेज निकालना/वापसी के कारण कंपनी से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार का उद्ग्रहण और वसूली कर रहा था। अत: कंपनी भारतीय बिजली ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के अनुरूप निम्न/उच्च वोल्टेज अवस्थाओं के दौरान डिस्कोमज/ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वसूल करने हेतु एच.ई.आर.सी. के पास दावा फाइल करने के लिए भी हकदार थी।

2007–10 के लिए प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का दावा न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने देखा कि कंपनी ने 2007–08, 2008–09 और 2009–10 वर्षों के लिए एच.ई.आर.सी. के पास फाइल किए गए ए.आर.आर. प्रस्ताव में डिस्कोमज से ₹ 12.70 करोड़ (पी.जी.सी.आई.एल. को भुगतान किए गए) के प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का दावा किया था। तथापि, एच.ई.आर.सी. ने अपने आदेश (सितंबर 2007) में बताया कि इसके द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार केवल कंपनी द्वारा प्राप्त वास्तविक बीजकों के आधार पर अनुमत किए जाएंगे। तथापि, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्देशित अनुसार वास्तविक बीजकों के आधार पर अपना दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया था (सितंबर 2012)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि क्योंकि ऐसे प्रभार परिशुद्धता की किसी डिग्री के साथ प्रक्षेपित नहीं किए जा सकते और कभी-कभी एच.वी.पी.एन.एल सामान्य पूल से भी क्रेडिट प्राप्त करती है। आयोग, एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्राप्त वास्तविक बीजकों के आधार पर प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार स्वीकार करेगा तथा एच.वी.पी.एन.एल. के परवर्ती ए.आर.आर. में समायोज्य हैं। तथ्य रहता है कि कंपनी ने ₹ 12.70 करोड़ के राजस्व के दावे निर्धारित पद्धति में नहीं प्रस्तुत किए।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अभिप्रेत निधियों का विपथन

2.1.48 पूर्ववर्ती एस.एस.ई.बी. ने ₹ 168.24 करोड़ (एच.वी.पी.एन.एल.: ₹ 123.55 करोड़ और यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 44.69 करोड़) का ऋण 1979–80 से 1997–98 तक एच.एस.ए.एम.बी. से पूंजीगत कार्यों तथा विद्युत के क्रय के लिए लिया था। ऋण सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आरज) के रूप में लिया गया था जो 30 अप्रैल 2002 को 61 मास की अवधि के लिए 10.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण में परिवर्तित किया गया था। जब-जब देय होने पर ऋण आगे 61 मास के लिए नवीकरण कर दिया गया।

δ तृतीय पार्टी प्रणाली प्रयोग करते हुए दो पार्टियों के मध्य विद्युत के निष्पक्ष विक्रय/क्रय योग्य बनाना।

कंपनी ने 31 मार्च 2008 तक ₹ 52.97 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 70.58 करोड़ मुक्त करवा लिए। एच.ई.आर.सी. ने अपने 2008-09 के लिए शुल्क दर आदेश में ₹ 52.97 करोड़ के लंबित शेष और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमत कर दिया था। कंपनी ने ₹ 37.97 करोड़ का बकाया ऋण और ब्याज छोड़कर, जो ₹ 138.98 करोड़ तक सचित हो गया था, ₹ 15 करोड़ का पुनर्भुगतान कर दिया था (दिसंबर 2011)। एच.ई.आर.सी. ने 2009-10 के लिए अपने शुल्क दर आदेश में कंपनी को ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अनुमत निधियों का विपथन स्पष्ट करने के लिए कहा। कंपनी ने अपने संबंधित ए.आर.आर. के माध्यम से एच.एस.ए.एम.बी. ऋण के कारण 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 14.17 करोड़ के ब्याज का दावा किया परंतु एच.ई.आर.सी. द्वारा इसके ए.आर.आर. आदेश में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि समग्र राशि कंपनी को पहले ही अनुमत की जा चुकी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 में पूंजीगत व्यय पुनर्भुगतान अल्पतर स्वीकरण के कारण, निधि आर.ई.सी., पी.एफ.सी., एन.सी.आर.पी.बी. और एन.ए.बी.ए.आर.डी. के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान पर खर्च की गई। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि कंपनी ने निधियों का विपथन किया था और यह एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया।

सामग्री प्रबंधन

2.1.49 सामग्री प्रबंधन में मूल कार्य, माल सूची नियंत्रण नीति, सामग्रियों का प्रापण और अप्रचलित माल सूची का निपटान करना है। कंपनी ने मितव्ययी प्रापण और माल सूची पर कुशल नियंत्रण के लिए कोई प्रापण नीति और माल सूची नियंत्रण यंत्रावली नहीं बनाई थी। 2007-08 से 2011-12 (मार्च 2012 तक) की अवधि के लिए प्रतिवर्ष और प्रतिमास खपत, निवल अंतिम स्टॉक और खपतों के महीनों के निबधन में संवरण स्टॉक के विवरण नीचे वर्णित हैं:

(₹ करोड़ में)

आरंभिक वर्ष	खपत (प्रतिवर्ष)	खपत (प्रति माह)	निवल संवरण स्टॉक (तुलन पत्र अनुसार)	खपत से माहो के निबंधनों में संवरण स्टॉक
2007-08	129.71	10.81	43.06	3.98
2008-09	210.41	17.53	44.94	2.56
2009-10	214.57	17.88	38.08	2.13
2010-11	104.56	8.71	33.02	3.79
2011-12	188.53	18.85	31.13	1.97

कंपनी ने प्रभावी रूप से अपने अंतिम स्टॉक को 1.97 मास खपत स्तरों तक सीमित किया था और ए.बी.सी. विश्लेषण भी कर रही थी।

भौतिक सत्यापन का न किया जाना

2.1.50 कंपनी के पास अपने नियंत्रण में पांच[⊗] समर्पित स्टोर हैं। तथापि, स्टोरों का भौतिक सत्यापन (पी.वी.) वार्षिक नहीं करवाया जा रहा था। सभी स्टोरों में अंतिम पी.वी. फरवरी–अप्रैल 2011 के दौरान किया गया था। मार्च 2012 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान अगतिशील, फालतू, अप्रचलित, अप्रयोज्य और रद्दी सामग्री का मूल्य नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
फालतू/पुराना/अप्रयोज्य/रद्दी	2.28	2.96	5.44	6.32	5.77
अगतिशील	1.37	1.63	1.96	2.05	3.01
कुल	3.65	4.59	7.40	8.37	8.78

उपर्युक्त से यह देखा गया कि रद्दी, अप्रचलित और अगतिशील स्टॉक 2007–08 से 2011–12 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति पर था। कंपनी ने रद्दी/अप्रचलित सामग्री के सर्वेक्षण और निपटान करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी जो राजस्व अर्जित कर सकता था और परिणामस्वरूप अन्य सामग्री के भंडारण के लिए स्थान सृजन हो सकता था।

प्रबंधन ने नोट किया तथा भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया और बताया कि स्टॉक के आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए जायेंगे।

मानीटरिंग और नियंत्रण

अनुपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

2.1.51 विभिन्न पैरामीटरों जैसे अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज स्तरों, ब्रेक डाउनज, वोल्टेज प्रोफाइलज पर एस.एसज और 400/220/132 के.वी. लाईनों का निष्पादन ग्रिड संहिता मानकों के अनुसार अभिलिखित/अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि यद्यपि करनाल और रोहतक परिमंडल अधीन मंडलों ने एस.एसज के निष्पादन संबंधी मासिक एम.आई.एस. रिपोर्टस मुख्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की थी, परंतु वे बी.ओ.डीज को प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि, एम.डी. की अध्यक्षता अधीन आयोजित समीक्षा बैठकों में ये रिपोर्टें एस.एसज के परिचालन और अनुरक्षण स्थिति के भाग के रूप में कभी–कभी प्रस्तुत की गई थी। आगे, एस.एसज और लाईनों के वर्षवार संचयी निष्पादन के अभिलेख उसके वार्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे।

हमने देखा कि ट्रांसफार्मरों की कम लोडिंग/अधिक लोडिंग की संकटपूर्ण स्थिति को पार करने के लिए उपचारी उपाय संबंधी केवल एक एजेंडा पर चर्चा की गई थी (जून 2010)। तथापि, एक नियमित प्रचलन के रूप में इसे जारी नहीं रखा गया।

⊗ बल्लभगढ़, हिसार, खेड़ा, पानीपत तथा सेवाह (पानीपत)।

आगे, करनाल और रोहतक परिमंडल अधीन मंडलों की एम.आई.एस. रिपोर्टों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उपकरणों की योजनागत पूर्ण मरम्मत, अगली तेल परिवर्तन की देय तिथियों, ओ.एल.टी.सी.[⊗] परिचालनों, अनुरक्षण कार्यों की तिथियों, एसएस. बैटरियों के निष्पादन और प्रसारण के निष्पादन संबंधी ब्यौरे इन रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा रहे थे। इसकी अनुपस्थिति में, इन रिपोर्टों से अधिक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ।

प्रबंधन ने एग्जिट कांफ्रेंस में अनुपालना हेतु आश्वासन दिया।

टी. और डी. योजनाओं के विचारित लाभ की समीक्षा

2.1.52 कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान 92 ई.एच.टी. एस.एसज निष्पादित और चालू किए तथा 400/220/132/66 के.वी. की ई.एस.टी. लाईनों के 3,442.90 सी.के.एजम की कुल लंबाई प्रतिष्ठापित की। टी. और डी. योजनाओं को अनुमोदित करते समय, कंपनी ने लाईन हानियां में कमी, वोल्टेज स्तरों में सुधार तथा नई योजनाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली लोड वृद्धि के निबंधन में लाभ विचारित किए। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि कंपनी ने नई परियोजनाओं को चालू करने के बाद टी. और डी. योजनाओं के कार्यान्वन पर वास्तव में प्राप्त लाभ निर्धारण के लिए डिस्कोमज के साथ कोई फीडबैक प्रणाली विकसित नहीं की थी।

उत्तर (अक्तूबर 2012) में प्रबंधन ने लेखापरीक्षा सुझावों की प्रशंसा की तथा एग्जिट कांफ्रेंस में आश्वासन दिया कि संचारण स्कीम में यथाविचारित लाभ विश्लेषण फीडबैक प्रणाली सृजित की जाएगी।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.53 आंतरिक नियंत्रण, परिचालनों की दक्षता, वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता लागू नियमों और अधिनियम की अनुपालना हेतु उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के सही कार्यचालन एवं कारगरता सुनिश्चित करने तथा त्रुटियों एवं जालसाजियों का पता लगाने हेतु डिजाइन की गई है।

कंपनी के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है जिसने 2008-09 तक वित्तीय लेखापरीक्षा की थी तथा उसके बाद, 2009-10 के लिए यह बाहर से करवाई गई थी। कंपनी ने अनुबंध रद्द कर दिया (7 जुलाई 2011) और फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी अपनी रिपार्टो में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया था। कंपनी के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितंबर 2012)।

केन्द्रीय विजिलेंस कमीशन (सी.वी.सी.) के मार्गनिर्देश (15 जनवरी 2002) प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक कंपनी के पास विस्तृत क्रय प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों से समायुक्त क्रय मैनुअल होना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपना प्रापण मैनुअल तैयार नहीं किया था तथा अभी भी पूर्ववर्ती एस.एस.ई.बी. द्वारा निर्मित पुराने क्रय विनियम 1974 का अनुसरण करता है।

⊗ लोड टैप परिवर्तक पर।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 2009-10 से 2011-12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा बाहर से करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और क्रय मैनुअल तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति

2.1.54 कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292-ए के अंतर्गत यथा अपेक्षित एक लेखापरीक्षा समिति (ए.सी.) गठित की। इस ए.सी. द्वारा, पर लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों सहित लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा तथा बी.ओ.डी. को प्रस्तुत करने से पहले अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की जानी थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जानी थी लेकिन ए.सी. 2007-09 के दौरान केवल एक बार मिली (31 जुलाई 2007)। आगे, कंपनी ने नए व्यवसाय नियम (लेखापरीक्षा समिति) 2009 अनुमोदित किए (31 मार्च 2009) जिसमें यह निर्धारित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति को एक तिमाही में एक बार मिलना चाहिए तथा दो बैठकों के मध्य चार मास से अधिक नहीं बीतने चाहिए। हमने अवलोकित किया कि ए.सी. 2009 में तीन बार मिली लेकिन 2010-12 के दौरान कोई ऐसी बैठक आयोजित नहीं की गई।

एग्जिट कार्फ्रेंस में प्रबंधन ने अनुपालन का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

- **कंपनी संचारण परियोजनाओं की पूर्णता में विलंबों तथा निष्क्रमण कार्यों में विलंब के अतिरिक्त संचारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक से इक्तालीस मास तक श्रृंखलित परिणामी विलंबों में कमी से संबंधित टॉस्क फोर्स के मार्ग निर्देशों के पालन में विफल रही। वास्तव में कंपनी अपनी परियोजनाओं के लिए समय सीमा तैयार नहीं करती।**

- **ए.एस.ज. और संबद्ध लाईनों के निर्माण अनुचित आयोजना के कारण विलंबित थे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी न केवल संचारण प्रणाली सुधार के विचारित लाभ प्राप्त करने में विफल रही बल्कि अतिरिक्त राजस्व की अप्राप्ति के रूप में ₹ 36.21 करोड़ अर्जित करने में भी विफल रही और ₹ 0.36 करोड़ की कड़ी हानियां उठाई।**

- **2008-12 के दौरान, ₹ 225.85 करोड़ के मूल्य की संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों के आधिक्य में थी। उपभोक्ता को अकुशलतायें प्रभारित उच्चतर शुल्क दरों को दी गई हैं।**

- **हुडा से वसूली कारगरता से अनुशीलन नहीं की गई परिणामत: ₹ 223.88 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और ₹ 202.25 करोड़ का वार्षिक ब्याज भार हुआ।**

- वर्ष 2007 – 12 के लिए ए.आर.आर. में कंपनी ने अननुमोदित कार्य शामिल किए तथा परिणामस्वरूप एच.ई.आर.सी. ने अनुमत पूंजीगत कार्यों के लिए प्राप्त ऋणों पर ₹ 218.81 करोड़ की राशि का ब्याज अननुमत कर दिया।

अनुशंसाएं

कंपनी को चाहिए:

- सुनिश्चित करें कि संचारण परियोजनाओं पर टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं अनुसरित की जाती हैं तथा उत्पादक प्रणाली के साथ समक्रमण में निष्क्रमण प्रणाली हेतु योजना बनाए। इसे अपनी सभी परियोजनाओं हेतु उनकी पूर्णता की स्थिति मॉनीटर करने के लिए समय सीमा तैयार करनी चाहिए;
- संचारण नेटवर्क के प्रभावी कार्यचालन और अनुरक्षण के लिए एम.टी.पी.सी. ग्रिड कोड में निर्धारित मानकों/मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना। कड़ी ऊर्जा लेखापरीक्षा लागू करना ताकि संचारण हानियां कम की जाए;
- दावों की वसूली के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाएं; और
- सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पूंजीगत कार्य एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना न किया जाए।

2.2 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

कार्यकारी सार

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) मध्यम/दीर्घ स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और राज्य में औद्योगिक संपदाओं का विकास करने के लिए 1967 में संस्थापित की गई थी। कंपनी के पास, इसकी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य में फैले हुए 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे। 31 मार्च 2012 तक कंपनी ने राज्य में 25,725 एकड़ क्षेत्र विकसित किया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत सभी वर्षों के दौरान कंपनी ने अपनी गतिविधियों से लाभ अर्जित किया है।

वित्त पोषण गतिविधि

2006–11 के दौरान कंपनी ने 48.70 प्रतिशत की कमी निरूपित करते हुए ₹ 467.28 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹ 239.73 करोड़ ऋण वितरित किए। 2006–11 के दौरान निवल वसूलनीय राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। पुराने देयों की वसूली के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ₹ 181.20 करोड़ छोड़ते हुए कंपनी ने ओ.टी.एस. के अंतर्गत 34 मामले समायोजित किए।

भूमि अधियहण

राज्य में औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए, 2006–11 के दौरान ₹ 4542.27 करोड़ की लागत पर 10,279 एकड़ भूमि अधिगृहीत की। भूमि अधियहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों की अननुपालना के कारण कंपनी को भूमि अधियहण पर ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। कंपनी ने ₹ 8.98 करोड़ की हानि उठाई क्योंकि अधिगृहीत भूमि बाधाओं से मुक्त नहीं थी। भूमि का आधिपत्य लेने में विलंब के कारण कंपनी ने ₹ 1.71 करोड़ की भी हानि उठाई।

भूमि का विकास

2006–11 के दौरान भूमि के विकास के लिए कंपनी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। कंपनी ने 25,725 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जिसमें से 87.37 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ गया जिसने राज्य में संतुलित औद्योगिक वृद्धि को बाधित कर दिया। डी.आई. पाईपों पर उत्पाद शुल्क की छूट की अप्राप्ति के कारण कंपनी ने ₹ 2.19 करोड़ की हानि उठाई।

मूल्य का निर्धारण

2007–12 के दौरान कंपनी ने प्लाटों के आबंटन के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। मार्च 2012 तक बनाए गए 14,297 प्लाटों/शेडों में से, 2390 प्लाट/शेड खाली पड़े थे। पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के कारण कंपनी ने ₹ 6.84 करोड़ की हानि उठाई तथा प्लाटों का पुनर्ग्रहण न करने के कारण इसने ने ₹ 2.33 करोड़ की हानि उठाई।

बृहद परियोजनाएं

कंपनी राज्य में अनेक बृहत् मूलभूत संरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। कुंडली–मानेसर–पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस–वे की 29 जुलाई 2009 तक समापन के विरूद्ध, याही 31 मार्च 2012 तक 66.86 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 77 प्रतिशत आर्थिक प्रगति प्राप्त कर सका। कंपनी ने फर्म पर ₹ 17.88 करोड़ की शास्ति लगाई परन्तु अक्तूबर 2012 तक किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी। रिलायंस हरियाणा एस.ई.जेड लिमिटेड, गुड़गांव में विनिर्दिष्ट अवधि में एस.ई.जेड प्रस्थापित करने में विफल रही और 1383.68 एकड़ भूमि, जो कंपनी से ₹ 399.85 करोड़ की लागत पर ली गई थी, ₹ 1,172 करोड़ पर लौटाने का प्रस्ताव किया था। परामर्शदाता द्वारा भूमि के गलत मूल्यांकन तथा मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड को बेचने से पहले कंपनी द्वारा उनकी जांच न करने के कारण कंपनी ने ₹ 438.91 करोड़ की हानि उठाई।

निष्कर्ष और सिफारिशें

कंपनी ने ऋणों की संस्वीकृति तथा वितरण में

लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। वसूलनीय निवल राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। ओ.टी.एस. के अंतर्गत समायोजित 34 मामलों में से 17 मामले, ₹127.48 करोड़ के बकाया देयों के विरूद्ध केवल ₹23.03 करोड़ के लिए समायोजित किए गए थे, जबकि इन इकाईयों की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य ₹56.91 करोड़ था। कंपनी ने औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे और भूमि के अधियग्रहण चिन्हीकरण के लिए प्रणाली दोषपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा में कंपनी के निष्पादन में सुधार के लिए चार सिफारिशें सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

2.2.1 राज्य में औद्योगिक सम्पदाओं को विकसित करने तथा मध्यम/वृहद स्तर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा राज्य उद्योग तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को संस्थापित किया गया था (1967)। राज्य सरकार ने आगे कंपनी को राज्य में मूलभूत संरचना के विकास के कार्य भी सौंप दिए (दिसंबर 2005)। कंपनी ने राज्य में 31 मार्च 2012 तक 20 औद्योगिक माडल टाउनशिप (आई.एम.टीज)/औद्योगिक सम्पदाओं (आई.ईज)/वृद्धि केंद्रों (जी.सीज) में 25,725 एकड़ का क्षेत्र विकसित किया है।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सामग्री, माल अथवा किसी विवरण की वस्तुओं के विनिर्माण एवं उत्पादन के लिए उद्यौगों, परियोजनाओं अथवा उद्यमों को बढ़ावा देना, सुधारना, प्रबन्ध करना एवं शासित करना;

- मूलभूत संरचना विकास क्रिया-कलापों को प्रत्यक्ष रूप से या पबिल्क प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) द्वारा या एजेंसी/कन्सलटेंट नियुक्त करके करना तथा सड़कें, पानी तथा विद्युत जैसी सुविधाओं सहित मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करना;

- किसी औद्योगिक उपक्रम, परियोजना या उद्यम, अनुदान सहायता तथा वित्त पोषण देना चाहे सरकार, सांविधिक निकाय, प्राइवेट कंपनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा स्वामित्व प्राप्त हो या चलाए जा रहे हो; तथा

- हाउसिंग तथा संबंधित सामाजिक मूलभूत संरचना, संस्थात्मक, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक मूलभूत संरचना सहित संघटित औद्योगिक टाउनशिप/पार्कस के लिए भूमि अधिगृहीत करना।

वर्तमान में, कंपनी राज्य में सभी तरह की मूलभूत संरचनाओं के विकास तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई.ईज का विकास करने के लिए मध्यम तथा वृहद् औद्योगिक इकाइयों को टर्म तथा अन्य ऋण प्रदान करने में लगी हुई है।

संगठनात्मक ढांचा

2.2.2 कंपनी का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (बी.ओ.डीज) के पास निहित है। मार्च 2012 को बोर्ड के पास प्रबंध निदेशक (एम.डी.), जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी था, सहित पांच निदेशक थे तथा जिसे अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता दी जाती थी। कंपनी के पास अपने कार्यकलापों को करने के लिए 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.3 'ऋणों के संवितरण, वसूली तथा निवेश गतिविधियों' तथा 'औद्योगिक संपदाओं की स्थापना' से संबंधित कंपनी की गतिविधियां निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्लेषित की गई थी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों समाप्त वर्ष क्रमश: 31 मार्च 2003 एवं 31 मार्च 2007 (वाणिज्यिक) हरियाणा सरकार, में सम्मिलित की गई थी। दोनों निष्पादन लेखापरीक्षाएं लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चित की गई थी तथा कुछ अनुच्छेदों पर उनकी सिफारिशें क्रमश: 22 मार्च 2007 तथा 15 मार्च 2011 को प्रस्तुत कोपु की 53वीं तथा 57वीं रिपोर्टों में सम्मिलित थी। पैरे अभी अन्तिमता को प्राप्त होने शेष हैं।

पूर्ववर्ती वर्षों में राज्य में बहुत औद्योगिक विकास किया गया है, यह महसूस किया गया कि लाभ, जो अर्जित किए गए हैं, के लिए क्रियाकलाप का एक बार फिर विश्लेषण किया जाना चाहिए। दिसंबर 2011 तथा मई 2012 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों के लिए कंपनी के कार्यचालन को आवृत्त करती है। मुख्यालय पर अनुरक्षित अभिलेखों की जांच करने के अतिरिक्त हमने इसके 17 क्षेत्र कार्यालयों में से छ:[1] के अभिलेखों की नमूना-जांच की। विस्तृत संवीक्षा के लिए क्षेत्र कार्यालयों का चयन 'प्रतिस्थापन पद्धति के बिना साधारण रैंडम सैम्पलिंग' अपनाकर किया गया तथा 2007-12 के दौरान कुल अधिगृहीत भूमि का 59 प्रतिशत तथा औद्योगिक सम्पदाओं के विकास तथा अधिग्रहण पर कुल व्यय का 72 प्रतिशत चयनित यूनिट ने आवृत्त किए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- औद्योगिक यूनिटस को ऋण संस्वीकृत करने तथा संवितरण करने तथा अन्य वित्तीय सहायता में निर्धारित किए गए मानक तथा प्रक्रियाएं अनुसरित की गई थी;
- ऋण अनुबंधों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार ऋण वसूल किए गए थे तथा देयों के भुगतान न करने हेतु चूककर्ताओं के विरूद्ध पर्याप्त कार्यवाही की गई थी;
- मूलभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन, कच्ची सामग्री उपलब्धता, मार्केट तथा अन्य इनपुटस के निबंधनों में औद्योगिक संपदाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु सही जांच

[1] बरही, बावल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर तथा रोहतक।

तथा निरीक्षण करने के बाद राज्य में औद्योगिक संपदाओं के संघटित विकास के लिए कंपनी ने एक योजना तैयार की तथा कार्यान्वित की;

- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एल.ए.) के अनुसार कृषक/भू-स्वामी अपनी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य प्राप्त किए गए थे;
- मूलभूत संरचना विकास, उद्योग का अनुरक्षण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित परियोजना प्रबंधन मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी थे;
- कंपनी ने प्लाट्स के आबंटन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली अपनाई तथा इसकी नीति के अनुसार मूल्य 'न लाभ न हानि' आधार पर निर्धारित किए गए थे; तथा
- पर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्न स्रोत हैं:

- औद्योगिक विकास, भूमि अधिग्रहण तथा उद्योगों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार की नीति/निर्देश/लक्ष्य;
- राज्य सरकार योजनाओं तथा नीति के प्रोत्साहन के लिए कंपनी की दीर्घ अवधि तथा वार्षिक योजनाएं;
- औद्योगिक विकास तथा राज्य औद्योगिक नीति (एस.आई.पी.) के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के मार्गनिर्देश;
- कंपनी द्वारा अपनाई गई आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य नियंत्रण प्रक्रियाएं।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.6 लेखापरीक्षा पद्धति ने निम्नलिखित की समीक्षा शामिल की:

- ऋणों की संस्वीकृति तथा संवितरण, वसूली तथा समायोजन से संबंधित अभिलेखों की जांच;
- भूमि अधिग्रहण अभिलेखों की जांच;
- औद्योगिक संपदाओं के विकास से संबंधित कार्यों की प्रदानगी तथा निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच; तथा
- एल.ए. अधिनियम, 1894 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन।

वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

2.2.7 31 मार्च 2011 तक गत पांच वर्षों के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट 8*** में दिए गए हैं:

हमने देखा:

- 2006-07 एवं 2010-11 के दौरान कंपनी के निवल लाभ की बढ़ती प्रवृत्ति थी। यह, 2009-10 की अवधि को छोड़कर, इस वर्ष में ₹ 1276.65 करोड़ की भूमि के अधिग्रहण के कारण, इस अवधि के दौरान ₹ 26.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 69.95 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 104.12 करोड़ की ब्याज आय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से वसूल किया गया ₹ 5.13 करोड़ जो इसकी मुख्य गतिविधि से नहीं था तथा दो नान-इंडस्ट्रियल एरिया साइट्स[⊗] की निलामी बिक्री के विरूद्ध वसूली गई राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 42.20 करोड़ शामिल थे, इस तथ्य के बावजूद कि आई.ए. गतिविधि 'न लाभ न हानि' पर आधारित है। औद्योगिक एरिया (आई.ए.) गतिविधि से सरपल्स फंडों से सावधि जमाओं पर ब्याज के कारण ₹ 34.15 करोड़ भी इसमें शामिल थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.8 15 मार्च 2012 को आयोजित एक 'एंट्री कान्फ्रैंस' के दौरान हमने कंपनी को लेखापरीक्षा उद्देश्य स्पष्ट किए। हमारे लेखापरीक्षा परिणाम परवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं। लेखापरीक्षा परिणाम सरकार/प्रबंधन को सितम्बर 2012 में संदर्भित किए गए थे तथा 20 दिसम्बर 2012 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रैंस, जिसमें एम.डी. और कंपनी के विभागों के अध्यक्ष उपस्थित थे, में किए गए थे। यह प्रतिवेदन अंतिम करते समय प्रबंधन के विचार ध्यान में रखे गए हैं।

वित्त पोषण गतिविधि

2.2.9 मौजूदा यूनिटस के विस्तारण, विपथन तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ नए मध्यम तथा वृहद् सैक्टर औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी जनरल टर्म-लोन, उपकरण वित्त स्कीम (ई.एफ.एस), कार्यचालन पूंजी टर्म लोन (डब्ल्यू.सी.टी.एल.), लाइन आफ क्रेडिट (एल.ओ.सी.), वित्तीय वाणिज्यिक काम्पलैक्स, कारपोरेट लोन आदि के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निम्न विवरणी 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान ऋण आवेदनों की प्राप्ति, उनकी संस्वीकृतियों तथा संवितरणों

[⊗] मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड तथा मैसर्ज ब्रह्म केन्द्र विकास (पी.) लिमिटेड, गुड़गांव।

की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क) वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	36	132.51	50	228.14	46	242.68	64	489.97	62	579.03
ख) प्राप्त आवेदन	100	404.37	62	317.60	64	526.06	42	480.53	41	326.20
कुल (क+ख)	136	536.88	112	545.74	110	768.74	106	970.50	103	905.23
ग) रद्द किए गए/व्यपगत/वापिस लिए गए/फाइल किए गए आवेदन	44	208.22	46	211.83	25	185.33	28	299.03	29	308.30
घ) संस्वीकृत आवेदन	42	100.52	20	91.23	21	93.44	16	92.44	14	89.65
वितरित की गई राशि	-	45.71	-	55.02	-	64.86	-	47.65	-	26.49
ऋणों के वितरण के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य	-	80.00	-	60.00	-	70.00	-	80.00	-	80.00
ङ.) वर्ष के अंत में लंबित आवेदन	50	228.14	46	242.68	64	489.97	62	579.03	60	507.28
च) राशि जिसके लिए ऋण आवेदनों पर विचार किया गया (ग+घ)	86	308.74	66	303.06	46	278.77	44	391.47	43	397.95
संस्वीकृत ऋण से वितरित ऋण की प्रतिशतता	-	45.47	-	60.31	-	69.41	-	51.55	-	29.55
विचार किए गए प्रतिवेदन से रद्द/व्ययगत/वापस लिए गए/नत्थी किए गए आपेदनों की प्रतिशतता	51.16	-	69.70	-	54.35	-	63.64	-	67.44	-
लक्ष्य से संवितरण की प्रतिशतता	-	57.14	-	91.70	-	92.66	-	59.56	-	33.11

उपर्युक्त तालिका ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- ऋणों के अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्र अवधि के दौरान घटते रहे। 2007-08 में 62 से 2008-09 में 64 तक मारजिनल बढ़ोतरी के सिवाय ये 2006-07 में 100 से 2010-11 में 41 तक घट गए जिसने सूचित किया कि कंपनी अपनी वित्तीय स्कीमों के प्रति उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर सकी।

- लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त समग्र अवधि के दौरान ऋणों के वितरण के लिए निर्धारित किए गए टारगेटस प्राप्त करने में कंपनी विफल रही तथा टारगेटस से ऋणों के वितरण की प्रतिशतता 33.11 और 92.66 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

- मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान 48.70 प्रतिशत की कमी को निरूपित करते हुए ₹ 467.28 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹ 239.73 करोड़ की राशि के ऋण कंपनी ने वितरित किए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होत समय प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में सूचित किया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, बैंको द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी दरों तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित कड़े सुरक्षा आवृत्ति मानकों के परिणामस्वरूप ऋण के वितरण हेतु लक्ष्यों की अप्राप्ति हुई थी। प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन का यूवकांक वर्षों से वृद्धि पर था तथा हरियाणा में आर्थिक मंदी का प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं था।[Δ]

वसूली निष्पादन

2.2.10 मार्च 2011 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान वसूली के लिए निर्धारित वसूली लक्ष्यों हेतु देय ऋण राशियां, वसूल की गई राशि तथा शार्टफॉल निम्नवत थे:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वसूली के लिए देय राशि	92.67	78.14	77.94	72.52	47.83
	जमा: वर्ष के दौरान देय राशि (वितरण तथा ब्याज)	82.03	77.61	64.13	77.70	85.47
	घटा: राशि पुन: सूचीबद्ध/अपलिखित की गई	1.23	4.77	3.73	29.41	7.22
	वसूलनीय निवल राशि	162.47	150.98	138.34	120.81	126.08
2.	वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य	85.00	72.00	70.50	71.00	74.34
	वसूलनीय राशि से लक्ष्य की प्रतिशतता	52.32	47.69	50.96	58.77	58.96
3.	वसूल की गई राशि					
	क) पुराने देय (पिछले वर्ष तक वसूली योग्य)	22.50	13.13	12.32	13.63	07.02
	ख) वर्तमान देय	55.81	51.13	46.11	54.66	50.10
	ग) पूर्व भुगतान	06.02	08.78	07.39	04.69	21.80
	कुल (क+ख)	**84.33**	**73.04**	**65.82**	**72.98**	**78.92**
4.	वर्ष के अंत में वसूली योग्य राशि	78.14	77.94	72.52	47.83	47.16
5.	वसूली की प्रतिशतता					
	क) अवसूली योग्य राशि से	51.90	48.38	47.58	60.41	62.60
	ख) लक्ष्य से	99.21	101.44	93.36	102.79	106.16

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि:

- 2006-11 के दौरान शुद्ध वसूली योग्य राशि जो ₹ 120.81 करोड़ तथा ₹ 162.47 करोड़ के मध्य श्रृंखलित रही, के विरूद्ध वसूली के लिए फिक्स किए गए टारगेट ₹ 70.50 करोड़ तथा ₹ 85 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थे। 2006-11 के दौरान वसूलनीय शुद्ध राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता केवल 47.58 तथा

Δ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

62.60 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। कंपनी को अपनी वसूली स्थिति सुधारने के लिए सख्त प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि यह कैश सरपल्स सृजन में सहायता करेगा, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारेगा।

- पुराने देयों की वसूली 2006 - 07 में ₹ 22.50 करोड़ से 2010 - 11 में ₹ 7.02 करोड़ तक कम हो गई जिसने कंपनी की ओर से प्रयत्नों की कमी सूचित की। आगे, जैसे समय व्यतीत होता है क्रॉनिक पुराने चूककर्त्ताओं से वसूली करना अल्प हो जाएगा। कंपनी को पुराने देयों की वसूली के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि यद्यपि अनिष्पादक परिसम्पत्तियां (एन.पी.एज), वसूल करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए थे, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अनुसार धीमी वसूली लेटीगेशन/लिक्वीडेशन के अंतर्गत अधिक मामलों के कारण थी। यह भी बताया गया था कि गत पांच वर्षों से एन.पी.एज 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घट गया था।

वसूली निष्पादन के कुछ रोचक मामले नीचे चर्चित किए गए हैं:

ऋण लेखे के समायोजन पर अनुचित लाभ

2.2.11 1992 से 2003 के दौरान मैसर्ज नारायणगढ़ शुगर मिल्ज, अंबाला (यूनिट) ने ₹ 15.25 करोड़ के पांच सावधि ऋण तथा इक्विटी सहायता प्राप्त की। चूंकि यूनिट चूक में थी, कंपनी ने अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) तथा अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) कुछ अन्य रियायतें अर्थात् ब्याज दर में कमी, ब्याज तथा पैनल ब्याज की मुआफी तथा 31 मार्च 2001 से पहले यूनिट द्वारा ₹ 1.08 करोड़ के भुगतान के अध्याधीन समय पर पेमेंट के लिए एक प्रतिशत की छूट अनुमत करने के अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) एवं अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) पुन: संरचित किया (मार्च 2001)। आगे, यदि यूनिट उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी के अनुपालन में विफल थी, तो कंपनी द्वारा इस संबंध में बिना किसी नोटिस के ऊपर बताई गई रियायतें वापस ली जानी थी।

यूनिट ने 31 मार्च 2001 तक ₹ 1.08 करोड़ संप्रेषित किए लेकिन क्रमश: अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) में ₹ 26.20 लाख तथा अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) में ₹ 24 लाख के आगे भुगतान में चूक की। यद्यपि यूनिट चूक में थी, कंपनी ने आगे ₹ सात करोड़ का एक कारपोरेट लोन (सी.एल.) वितरित किया। चूंकि यूनिट ने ₹ 2.35 करोड़ (मूलधन ₹ 1.75 करोड़ तथा ब्याज ₹ 60.22 लाख) के सी.एल. के भुगतान में चूक की थी, कंपनी ने गौण प्रतिभूति पर प्रभार के विस्तारण तथा प्राथमिक प्रतिभूति के समरूप प्रभार के विस्तारण के लिए दस्तावेजों के अनिष्पादन, ऋणों के पुर्नभुगतान में चूक के कारण यूनिट को पहले दी गई रियायतें वापस लेने के अतिरिक्त प्रोमोटरज के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) जारी किया (जनवरी 2004)। यूनिट ने रियायतें दोबारा शुरू करने का अनुरोध (फरवरी 2004) जो अस्वीकार कर दिया गया था (फरवरी 2004) तथा कंपनी ने उसे 2009 तक अस्वीकार करना जारी रखा तथा अंत में इसके साथ सहमत हो गई (अप्रैल 2010) तथा ₹ 4.26 करोड़ मूल्य की रियायतें (कंपनी द्वारा यथा परिकलित) यूनिट को दोबारा शुरू कर दी। इस प्रकार, यूनिट को रियायतें पुन: शुरू करने के कारण, जबकि यह चूक में था, कंपनी को ₹ 4.26 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने एक्जिट कांफ्रैंस में बताया कि इकाइयों से वापिस लिए गए लाभों का मूल्य केवल अप्रयोगमूलक था तथा ये केवल इकाई पर दबाव डालने हेतु वापिस ली गई थी। लेकिन तथ्य था कि ₹ 4.26 करोड़ मूल्य की रियायतें (कंपनी द्वारा परिकलित) वापस ली गई थी तथा तथ्य के बावजूद, कि यह लाभों की प्रदानगी की शर्तों के विरूद्ध था क्योंकि इकाई पहले से ही चूक में थी, बाद में दोबारा प्रदान कर दी गई थी।

ऋण की संदेहपूर्ण वसूली

2.2.12 कंपनी ने दो यूनिटस अर्थात् मैसर्ज रेक्सर भारत लिमिटेड, फरीदाबाद तथा मैसर्ज सुपर फाइबरज लिमिटेड, फरीदाबाद के प्रोमोटरों को कुल ₹ 45.22 करोड़ के विभिन्न ऋण संस्वीकृत किए (मार्च 1996 से मार्च 2009) प्रोमोटरों ने ₹ 45.05 करोड़ की राशि के ऋण प्राप्त किए। ऋणों के माध्यम से प्रोमोटरों द्वारा अधिगृहीत प्लांट तथा मशीनरी पर कंपनी के पास एकान्तिक प्रभार था तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ने अभिलेखों में प्रभार दर्ज करवाया था तथा दोनों यूनिटस के लिए स्टेट बैंक आफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) से 'नो ऑबजेक्शन सर्टीफिकेट' (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने के बाद भूमि तथा भवन पर समरूप[⊗] प्रभार था। 30 अप्रैल 2009 से देय किस्तों के भुगतान में दोनों ऋणी यूनिटस ने चूक करनी आरंभ कर दी। एस.बी.ओ.पी. ने कंपनी को सूचित किया (सितंबर 2009) कि कंपनी के पक्ष में दोनों यूनिटस की परिसम्पत्तियों पर प्रभार समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई एन.ओ.सी. जारी नहीं की थी इसके अतिरिक्त इसे भूमि तथा भवनों पर समरूप आधारित प्रभार के विस्तार के प्रलेखों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा था (नवंबर 2009) क्योंकि गिरवी रखी हुई संपत्ति, जो विशिष्ट तौर से बैंक को गिरवी थी, के वास्तविक टाइटल विलेख बैंक के अधिपत्य में था। इतने में एस.बी.ओ.पी. ने अपने देयों की वसूली करने के लिए डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डी.आर.टी.) के पास केस फाइल कर दिया। तथापि, जांच के दौरान कंपनी ने पाया (नवंबर 2010) कि ऋणी यूनिटस के प्रमोटरों ने कंपनी के लैटर हैड पर झूठा लैटर देकर प्लांट तथा मशीनरी पर अपने पहले प्रभार को खाली करवा लिया था। इसके बाद कंपनी ने प्रोमोटरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के अतिरिक्त उनके खिलाफ आर.सी. जारी किया (नवंबर 2010)। एस.बी.ओ.पी. द्वारा दर्ज किए गए मुकद्दमें के विरूद्ध सुनवाई के दौरान, कंपनी ने वाद किया कि दोनों यूनिटस के संबंध में वित्त की गई मशीनरी पर एकान्तिक प्रभार तथा भूमि और भवन पर इसके पास समरूप प्रभार था। डी.आर.टी. ने एस.बी.ओ.पी. के पक्ष में आदेश पास किया (दिसंबर 2011) तथा कंपनी का प्रस्तुतीकरण खारिज कर दिया।

संवितरण से पूर्व दस्तावेज सत्यापित किए बिना ऋण के संवितरण तथा आर.ओ.सी. के साथ संयंत्र एवं मशीनरी पर सृजित प्रभार के असत्यापन ने ₹ 13.62 करोड़ की वसूली जोखिम में डाल दी।

इस प्रकार, प्रोमोटरोज द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों की जांच न होने के कारण जो बाद में नकली तथा जाली पाए गए थे, ₹ 13.62 करोड़ की प्रिंसीपल अमाउंट वसूली के लिए संदेहपूर्ण बन गई थी जिसके लिए अभी तक जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई थी (अक्तूबर 2012)।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि मोरगेज की गई संपत्ति पर प्रभार सुरक्षित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रणाली प्रचालित नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सभी मोरगेज की गई सम्पत्तियों की विद्यमानता सत्यापित करने हेतु वहां एक प्रणाली होनी चाहिए थी।

⊗ समरूप का अर्थ है कि पूर्ववर्ती प्रभार की निरंतरता में प्रभार सृजित करना जो उसी संस्था द्वारा या अन्य संस्था द्वारा रखा जा सकता है।

वन टाइम सैटलमेंट (ओ.टी.एस.) पॉलिसी

2.2.13 कंपनी ने क्रॉनिक नॉन परफार्मिंग परिसम्पत्तियों (एन.पी.एज)[⊗] की कप्रोमाइज सैंटलमेंट के लिए नीति अनुमोदित की (2006)। पॉलिसी ने उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं के लेखे आवृत किए जो 31 मार्च 2004 को एन.पी.एज के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। यह पॉलिसी आगे मार्च 2011 तक वार्षिक आधार पर बढ़ा दी गई। स्कीम के अंतर्गत बकाया प्रिंसीपल राशि से नीचे कोई भी समायोजन नहीं किया जाना था।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत समायोजन के समय बकाया राशि, समायोजन की राशि तथा माफ की गई राशि की स्थिति चित्रित करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूनिटस जिनके लोन अकाउंट ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत समायोजित किए गए थे			
	यूनिटस की संख्या	बकाया राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)	समायोजन की राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)	माफ की गई राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)
2006-07	8	पी-9.30 आई-38.60 एम-0.13	पी-9.30 आई-1.47 एम-0.13	पी-0.0 आई-37.13 एम-0.0
2007-08	10	पी-7.24 आई-47.12 एम-0.01	पी-7.24 आई-0.30 एम-0.01	पी-0.0 आई-46.82 एम-0.0
2008-09	3	पी-4.51 आई-9.92 एम-0.0	पी-4.51 आई-0.23 एम-0.0	पी-0.0 आई-9.69 एम-0.0
2009-10	5	पी-6.79 आई-27.20 एम-0.06	पी-6.79 आई-1.21 एम-0.06	पी-0.0 आई-25.99 एम-0.0
2010-11	8	पी-11.41 आई-61.96 एम-0.07	पी-11.41 आई-0.39 एम-0.07	पी-0.0 आई-61.57 एम-0.0
कुल	34	पी-39.25 आई-184.80 एम-0.27	पी-39.25 आई-3.60 एम-0.27	पी-0.0 आई-181.20 एम-0.0

कंपनी ने 34 यूनिटस में ओ.टी.एस. के अन्तर्गत समायोजित ₹ 181.20 करोड़ छोड़ दिए थे।

उपर्युक्त तालिका ने प्रकट किया कि कंपनी ने ₹ 224.32 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 43.12 करोड़ पर 34 मामले समायोजित किए इससे ₹ 181.20 करोड़ का त्याग किया गया। आगे, यह इस संबंध में 31 मार्च 2011 तक ₹ 16.90 करोड़ की कमी छोड़ते हुए ₹ 43.12 करोड़ में से केवल ₹ 26.22 करोड़ की वसूली कर सकी। आठ यूनिटस, जिनके लेखे ओ.टी.एस. में समायोजित किए गए, ने ₹ 1.45 करोड़ (₹ 14.53 करोड़ की मूल राशि का 10 प्रतिशत) का भी भुगतान नहीं किया। इसने स्पष्टत: सूचित किया कि देय राशि का 81 प्रतिशत छोड़ने के बावजूद समायोजन राशि को वसूल करने के लिए कंपनी ने सच्चे प्रयत्न नहीं किए।

⊗ अनिष्पादक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/अथवा मूल की किस्त 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है।

हमने आगे देखा कि उपर्युक्त 34 मामलों में से ₹ 127.48 करोड़ के देय वाले 17 मामले केवल ₹ 23.03 करोड़ पर समायोजित किए गए थे यद्यपि उपलब्ध प्रतिभूतियों का निर्धारित मूल्य ₹ 56.91 करोड़ था। कंपनी को समायोजन के लिए प्रतिभूतियों के निर्धारित मूल्य से नीचे नहीं जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होते समय, प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि चूंकि लम्बित मुकद्दमों के कारण इन मामलों में प्रतिभूतियां शीघ्र प्रवर्तनीय नहीं थी इसलिए इन प्रतिभूतियों का मूल्य समायोजन राशि से लिंक नहीं की जा सका।

ओ.टी.एस. के अंतर्गत समायोजित कुछ रोचक मामले नीचे चर्चित हैं:

ऋण के समायोजन में अनुचित लाभ

2.2.14 कंपनी ने ई.एफ.एस. के अंतर्गत मैसर्ज आटो पिनज भारत लिमिटेड को ₹ दो करोड़ का एक अवधि ऋण स्वीकृत किया तथा दिसंबर 2001 तथा जनवरी 2002 के दौरान ₹ 1.99 करोड़ निर्मुक्त किए। कंपनी ने आगे ₹ 90 लाख का एक डब्ल्यू.सी.टी.एल. संस्वीकृत एवं संवितरित किया (मार्च 2002)। देयों को क्लीयर करने के लिए मशीनरी तथा प्राथमिक प्रतिभूति बेचने के लिए यूनिट द्वारा विभिन्न अनुरोधों की प्राप्ति पर, कंपनी ने ₹ 3.26 करोड़ (प्रिंसीपल ₹ 2.89 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.37 करोड़) के कुल बकाया देयों के विरूद्ध ₹ 2.43 करोड़ के जमा अध्याधीन उसे अनुमति दे दी (मार्च 2004)। बिक्री लाभों से यूनिट ने केवल ₹ 1.94 करोड़ जमा किए (फरवरी 2003 से अक्तूबर 2004)। कंपनी द्वारा अनुसरित लेखांकन प्रथा के अनुसार उधारकर्ता से प्राप्त राशि पहले वास्तविक विविध देय के विरूद्ध विनियोजित की जाती है, फिर बकाया ब्याज के विरूद्ध तथा उसके बाद शेष राशि बकाया मूल राशि के विरूद्ध समायोजित की जाती है। तदनुसार, यूनिट द्वारा दी गई राशि बकाया देयों के विरूद्ध समायोजित की गई (₹ 1.07 करोड़ ब्याज के रूप में तथा 0.87 करोड़ मूलधन के रूप में)।

इतने में यूनिट ने ₹ 1.25 करोड़ पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत कंपनी को लोन अकाउंट समायोजित करने हेतु अनुरोध यह कहते हुए किया कि कंपनी के पास पहले से प्रेषित ₹ 1.94 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ, बकाया मूल राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएं तथा मूल की शेष राशि इससे वसूली की जाए। तथापि, कंपनी ने यूनिट का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया (मई 2006)। यूनिट ने बार-बार ₹ 1.25 करोड़ पर इसका लोन अकाउंट समायोजन करने हेतु अनुरोध किया। अन्ततः में, यूनिट के लाभ हेतु पूर्वप्रभाव से अपनी अकाउटिंग पालिसी को बदलते हुए (मार्च 2010) कंपनी ने ₹ 2.02 करोड़ की देय मूल राशि (₹ 2.89 करोड़ बकाया मूल राशि घटा ₹ 0.87 करोड़, मूल के प्रति बिक्री लाभों से समायोजित राशि) के विरूद्ध ₹ 1.25 करोड़ पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामला समायोजित कर दिया (मार्च 2010) तथा यह अन्य यूनिटों से भावी वसूलियों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी जो यूनिफार्म अकाउंटिंग नीति का अनुसरण करने हेतु सिडबी मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन में था। इस प्रकार, कंपनी ने, अपनी ओ.टी.एस./लेखांकन नीति के उल्लंघन में मूल राशि से कम पर ऋण लेखे के समायोजन के कारण ₹ 0.77 करोड़ (₹ 2.02 करोड़-₹ 1.25 करोड़) की हानि उठाई।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में तथ्य स्वीकार किया कि यह 2004 में की गई वसूलियों के गलत लेखांकन के कारण था।

ऋण लेखे के निपटान के कारण हानि

2.2.15 कंपनी ने मैसर्ज एस.के. कोटेक्स लिमिटेड, पानीपत (यूनिट) को ₹ 3.47 करोड़ का अवधि ऋण तथा ₹ 30 लाख का सेतु ऋण संस्वीकृत किया। यूनिट ने अक्तूबर 1994 तथा सितंबर 2000 के दौरान क्रमशः ₹ 3.45 करोड़ तथा ₹ 30 लाख का ऋण प्राप्त किया। ऋण के अनुबंध के अनुसार, यूनिट ने गांव सिमला, जिला पानीपत स्थित ₹ 97.06 लाख मूल्य की 11 बीघा एवं 2 बिसवा कृषीय भूमि सी.एस.[γ] के रूप में रहन रख दी। चूंकि नवंबर 2000 को यूनिट ₹ 81.36 लाख (मूलधन ₹ 63.27 लाख तथा ब्याज ₹ 18.09 लाख) की चूक में थी, कंपनी ने यूनिट को आधिपत्य में ले लिया (जुलाई 2002) तथा ₹ 1.62 करोड़ में इसे बेच दिया (फरवरी 2003)। बिक्री लाभ समायोजित करने के बाद ₹ 48.36 लाख (फरवरी 2003 को ब्याज सहित बकाया राशि ₹ 2.10 करोड़ घटा ₹ 1.62 करोड़) यूनिट से वसूली योग्य थे (फरवरी 2003)।

कंपनी ने मैसर्ज नार्थ इंडिया टैक्नीकल कंसलटैन्सी आरगेनाइजेशन लिमिटेड (निटकॉन) से सी. एस. की कीमत ₹ 13.20 लाख पर निर्धारित करवाई (जुलाई 2003)। तथापि, इसको बेचा नहीं जा सका क्योंकि मालिक ने कंपनी की अनुमति लिए बिना पहले ही भूमि का एक हिस्सा बेच दिया था। कंपनी ने दोबारा ₹ 51.75 लाख पर निटकॉन से इस सी.एस. का मूल्य निर्धारित करवाया (जून 2006)। यूनिट ने ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत इसके ऋण लेखे पर विचार करने के लिए कंपनी को अनुरोध किया। कंपनी ने ₹ 98.16 लाख[δ] की बकाया राशि के विरूद्ध ₹ 28.64 लाख जमा विविध व्यय पर ओ.टी.एस. अनुमोदित किया (सितंबर 2007)।

हमने देखा कि क्योंकि कंपनी के पास गिरवी रखी हुई सी.एस. का निर्धारित मूल्य ₹ 51.75 लाख था, इसीलिए कंपनी को ₹ 28.64 लाख की बकाया मूल राशि पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामला समायोजित नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार, भूमि के टाइटल की जांच किए बिना वृद्धित मूल्य पर (₹ 97.06 लाख) सी.एस. के स्वीकरण, गिरवी रखी हुई सी.एस. की सही देखभाल न करने तथा कंपनी द्वारा परिकलित ₹ 58.94 लाख की देय राशि के विरूद्ध ₹ 28.64 लाख पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत लेखे के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 30.30 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि चूंकि सी.एस. विवाद अधीन था, बी.ओ.डी. ने पार्टी से, यद्यपि वह जानबूझ कर चूककर्ता था, ओ.टी.एस. स्कीम अधीन राशि वसूल करने हेतु सचेत निर्णय लिया। परन्तु चूंकि इकाई ने, कंपनी को सूचित किए बिना सी.एस. का हिस्सा बेच दिया था, इसलिए यह ओ.टी.एस. हेतु योग्य नहीं था।

साम्या भागीदारी स्कीम (ई.पी.एस.)

2.2.16 स्कीम के अन्तर्गत, कंपनी ने, आरम्भिक स्तर पर परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियों को संघटित करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए नए उद्यमियों की इक्विटी में भाग

γ मुख्य प्रतिभूति का अर्थ है विनिर्दिष्ट परिसंपतियां जिनके विरूद्ध ऋण प्रदान किया जाता है तथा गौण प्रतिभूति, उधारकर्त्ता द्वारा मुख्य प्रतिभूति की पूर्ति हेतु प्रदान की गई अतिरिक्त प्रतिभूति है।

δ (मूलधन ₹ 28.64 लाख तथा ब्याज ₹ 69.52 लाख)।

लिया। कंपनी ने गुड़गांव जिले में फ्लोरीकल्चर परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्ज जीवन फ्लोरा लिमिटेड (यूनिट) के इक्विटी शेयरों में मार्च से जून 1995 के दौरान ₹ 34.35 लाख निवेश किए। अनुबंध के अनुसार, इक्विटी कैपिटल के प्रति पहले वितरण की तारीख से 5 वर्षो की समाप्ति पर या वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि से तीन साल की समाप्ति के पश्चात् इनमें से जो भी पहले हो यूनिट इक्विटी को वापस क्रय करने हेतु बाध्य थी। तदनुसार, यूनिट को मार्च 2000 तक इक्विटी को वापस क्रय करना था।

हमने देखा कि यूनिट ने परियोजना को छोड़ दिया था क्योंकि परियोजना स्थल पर पानी फ्लोरीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं था। कंपनी ने यूनिट को इक्विटी ब्याज सहित वापस क्रय करने के लिए कहा (दिसंबर 1997)। एक गारंटर ने ₹ 34.35 लाख के अंकित मूल्य पर इक्विटी के वापस क्रय हेतु प्रस्ताव किया (सितंबर 2004) तथा ₹ 3.50 लाख की अपेक्षित 10 प्रतिशत राशि जमा करवाई। इसके अतिरिक्त ₹ 37 लाख भी कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिए गए थे। कंपनी ने निर्णय लिया (जुलाई 2005) कि 31 मार्च 2005 को देय ₹ 2.70 करोड़ की ब्याज राशि की वसूली करने के लिए शेष गारंटरों/प्रोमोटरों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। प्रोमोटरों ने ₹ 34.35 लाख के अंकित मूल्य पर इक्विटी वापस क्रय करने हेतु प्रस्ताव दिया (मार्च 2010)। यद्यपि, कंपनी ने ₹ 41.25 लाख[⊗] की पहले से प्राप्त राशि पर इक्विटी के वापस क्रय करने हेतु ओ.टी.एस. अनुमोदित किया (मई 2010)।

हमने आगे देखा कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.), अन्य सरकारी कंपनी ने राज्य सरकार से इक्विटी के वापस क्रय हेतु अपनिवेशित नीति अनुमोदित करवा ली थी (मार्च/अप्रैल 2010)। जिसने साथ में, इक्विटी शेयरों, उनके अंकित मूल्य जमा 10 प्रतिशत साधारण ब्याज अथवा निवेशित इक्विटी की द्विगुणित राशि, जो भी निम्नतर हो, पर वापस क्रय हेतु प्रावधान किया। एच.ए.आई.सी. ने ₹ 48.82 लाख के अपने निवेश के विरूद्ध इनसटैंट यूनिट से ₹ 99.53 लाख प्राप्त किए। लेकिन कंपनी ने किसी पालिसी की अनुपस्थिति में केवल ₹ 41.25 लाख हेतु मामला समायोजित कर दिया।

प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रेंस में अनुच्छेद में दी गई वास्तविक स्थिति से सहमत हो गया तथा सूचित किया कि कंपनी ने, जून 2000 में बी.ओ.डी. द्वारा अनुमोदित ओ.टी.एस. नीति के अनुसार, राशि समायोजित की थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी को एच.ए.आई.सी., जो इकाई से अधिक वसूल करने में समर्थ थी, के अनुरूप अपनी ओ.टी.एस. नीति संशोधित करनी चाहिए।

भूमि का अधिग्रहण

2.2.17 जी.ओ.आई. स्कीम की राज्य सरकार एवं औद्योगिक नीति तथा उद्योगपतियों की स्थानीय मांग के अनुसार आवश्यकता निर्धारित करने के बाद कंपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। अधिग्रहण, एल.ए. अधिनियम 1894, के अंतर्गत किया जाता है। 2006-07 से 2010-11 तक गत पांच वर्षो के दौरान ₹ 4,542.27 करोड़ की लागत पर 48 स्थानों पर 10,279 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई।

⊗ गारंटर से ₹ 40.50 लाख तथा प्रमोटर से ₹ 0.75 लाख (निवल)।

हमारे विश्लेषण ने निम्न त्रुटियां प्रकट की:

ब्याज का परिहार्य व्यय

2.2.18 मेवात जिले में मल्टी प्रोडक्ट टाउनशिप के संस्थापन हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए कंपनी ने प्रस्ताव अनुमोदित किया (फरवरी 2007)। मेवात जिले में औद्योगिक संपदा रोज-का मेयो, की स्थापना के लिए 9 गांवों से संबंधित 1558 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एल.ए. अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया था (31 मार्च 2008)। बाद में, राज्य सरकार ने उसी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया (27 मार्च 2009)।

तदनुसार, एल.ए.सी. मेवात ने कंपनी को ₹ 370 करोड़ तुरंत जमा कराने के लिए कहा (23 दिसंबर 2009) ताकि भूमि का निर्णय घोषित करने हेतु इसे समर्थ बनाया जा सके। कंपनी ने एल.ए.सी. मेवात को निधियों के ट्रांसफर के लिए, बैंक के नाम के साथ अकाउंट नंबर तथा अवार्ड की घोषणा की तिथि सूचित करने के लिए कहा (8 जनवरी 2010)। चूंकि कंपनी ने मामला प्रभावी ढंग से अनुसरित नहीं किया, एल.ए.सी. मेवात ने तीन महीने के अंतर के बाद गुड़गांव ग्रामीण बैंक, नूंह के साथ अकाउंट नंबर सूचित किया (5 अप्रैल 2010) तथा आगे सूचित किया कि अप्रैल 2010 तक राशि की प्राप्ति के तुरंत बाद अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। कंपनी ने एल.ए.सी. मेवात को गुड़गांव ग्रामीण बैंक की बजाए राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कहा। इसके बाद, एल.ए.सी., मेवात ने यूनियन बैंक आफ इंडिया मेवात में नया अकाउंट खोला तथा वांछित विवरण दिया (29 अप्रैल 2010)। एल.ए.सी., मेवात ने ₹ 62.16 करोड़ के ब्याज सहित (31 मार्च 2008 से 21/31 मई 2010 तक 12 प्रतिशत की दर पर) ₹ 374.48 करोड़ की लागत पर 1501 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्डस घोषित किए (21 मई 2010 तथा 31 मई 2010)। तदनुसार, कंपनी ने मई 2010 से अगस्त 2011 तक ₹ 360 करोड़ जमा करवाए तथा ₹ 14.48 करोड़ का शेष भुगतान अभी किया जाना था (अक्तूबर 2012)।

एल.ए.सी. के साथ क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवाने में विलंब के कारण कंपनी ने ₹ 7.15 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

हमने देखा कि एल.ए.सी. मेवात ने कंपनी को अवार्ड की घोषणा के लिए तुरंत निधि जमा करवाने के लिए कहा लेकिन यह, इसे जमा कराने में विफल रही। यदि कंपनी अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु तीव्र कार्यवाही करती, जनवरी 2010 में एल.ए.सी. को पत्र जारी करने के बाद मामले को सक्रिय रूप से आगे अनुसरित करती तथा अवार्ड अमाउंट तुरंत जमा करवा देती तो, यह जनवरी 2010 तक एल.ए.सी. को अवार्ड देने हेतु समर्थ बना देती, और इस प्रकार यह (1 फरवरी 2010 से 21/31 मई 2010 तक) 6 प्रतिशत पर परिकलित ₹ 7.15 करोड़ की ब्याज राशि बचा सकती थी।

प्रबंधन एग्जिट कान्फ्रेंस में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हो गया।

अनुचित सर्वेक्षण के कारण निधियों का अवरोधन

2.2.19 औद्योगिक सम्पदाओं/आई.एम.टीज/ग्रोथ सैन्टरज की स्थापना/विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले, यह सुनिश्चित के लिए एक सर्वे किया जाता है कि उस एरिया में कोई आवासीय ढांचे/मकान तो नहीं है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि ऋणभार से मुक्त है। इसके बाद भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) मानेसर पर भूमि के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने एक प्राइवेट पार्टी से सर्वे करवाया तथा एल.ए.सी. गुड़गांव द्वारा जारी किए गए (फरवरी 2007)। मांग नोटिस के आधार पर एल.ए. अधिनियम, 1894 की धारा क्रमश: 4 (24 नवंबर 2006) और 6 (24 फरवरी 2007) के अंतर्गत नोटिफिकेशन के जारी करने तथा अवार्ड के बाद गुड़गांव जिले में 163 एकड़ 3 कनाल तथा 15 मरले भूमि के अधिग्रहण हेतु कंपनी ने एल.ए.सी. गुड़गांव के पास ₹ 29.31 करोड़ जमा करवाए। ग्रामीण द्वारा फाईल की गई कई याचिकाओं तथा उपर्युक्त भूमि पर ढांचों की बृहद् संख्या के कारण कंपनी अभी तक भूमि का आधिपत्य नहीं ले सकी (मार्च 2012)। कंपनी के मुख्य टाउन प्लानर ने सूचित किया (4 जनवरी 2012) कि अधिगृहीत की गई उपर्युक्त भूमि, साइट पर अतिक्रमण के कारण विकसित नहीं की जा सकी। आगे, भूमि मालिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 9 एस.एल.पीज़ फाइल की गई थी, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित उपर्युक्त एरिया से बाहर स्थित आवासीय घर अधिगृहीत कर लिए गए थे। कोर्ट का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2012)।

हमने देखा कि भूमि के अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण न तो प्राइवेट पार्टी द्वारा सही किया गया और न ही कंपनी द्वारा सही ढंग से विश्लेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी, के परिणामस्वरूप न केवल एरिया के विकास में देरी हुई बल्कि ₹ 8.98 करोड़ (फरवरी 2007 से मार्च 2012 तक 6 प्रतिशत पर परिकलित) के ब्याज की हानि के अतिरिक्त लगभग 5 वर्षों के लिए ₹ 29.31 करोड़ की राशि भी अवरूद्ध हुई। कंपनी ने एल.ए.सी. से राशि निकलवाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

प्रबंधन ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि सर्वेक्षण के समय भूमि कुछ अस्थाई ढांचों, जो शीघ्र गिरा दिए जायेंगे, को छोड़कर सभी बाधाओं से मुक्त थी।

भूमि का विकास

2.2.20 निम्नलिखित तालिका गत पांच वर्षों 2007-12 के दौरान भूमि के विकास के लिए वित्तीय लक्ष्यों तथा उसके विरूद्ध उपलब्धि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट की गई	वास्तविक व्यय	प्रतिशतता	कमी
2007-08	166.33	157.24	94.53	5.47
2008-09	195.60	177.52	90.76	9.24
2009-10	320.05	204.60	63.93	36.07
2010-11	589.34	234.28	39.75	60.25
2011-12	712.09	385.70	54.16	45.84

कंपनी पांच वर्षों में किसी भी वर्ष में भूमि के विकास हेतु वित्तीय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

उपर्युक्त तालिका ने प्रकट किया कि यद्यपि कंपनी ने 2007-12 के दौरान भूमि के विकास के लिए वित्तीय लक्ष्य निश्चित किए थे, लेकिन यह इन पांच वर्षों में से किसी में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकी तथा कमी 5.46 तथा 60.25 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। कंपनी ने भूमि के विकास के लिए कोई नार्मज निश्चित नहीं किए थे तथा इस प्रकार इसके द्वारा की गई भौतिक उपलब्धियां विश्लेषित नहीं की जा सकी। आगे, कंपनी का मुख्य प्रतिबल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में आने वाले एरिया में उद्योगों के विकास पर था, क्योंकि इसके द्वारा मार्च 2012

तक विकसित 25,725 एकड़ के कुल एरिया में से 22,476.79 एकड़ (87.37 प्रतिशत) एन.सी.आर. में आया। इसने राज्य में संतुलित औद्योगिक वृद्धि में बाधा डाली।

उत्पाद शुल्क छूट का लाभ प्राप्त न करने के कारण हानि

2.2.21 औद्योगिक संपदाओं के विकास में प्रयोग की जाने वाली डक्टाइल आयरन (डी.आई.) पाइपें उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं तथा कंपनी अपनी विभिन्न औद्योगिक संपदाओं (आई.इज) यानि औद्योगिक माडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) मानेसर, ग्रोथ सैंटर (जी.सी.) साहा, आई.ई. करनाल तथा आई.ई. कुण्डली के लिए डी.आई. पाइपें प्रापण करते समय यह लाभ प्राप्त कर रही थी।

हमने देखा कि कंसलटैंट द्वारा उत्पाद शुल्क सहित डी.एन.आई.टी. तैयार की गई थी तथा सूचित किया गया कि डी.आई. पाइपों पर उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी बताया गया कि कंपनी को ई.डी. का लाभ देने हेतु निम्नतम बोलीदाता से एक बचनबद्धता ली जाए। तथापि, कंपनी के टर्न की आधार पर आई.एम.टी. फरीदाबाद के विकास के लिए डी.एन.आई.टी. को फाइनल करते समय डी.आई. पाइपों पर ई.डी. की छूट के पहलू पर विचार-विमर्श नहीं किया तथा ₹ 310 करोड़ की निम्नतम उद्धृत दरों पर मैसर्ज रामकी मूलभूत संरचना लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्य आबंटित किया। मई 2011 में आर्डर किए गए पाइपों की समग्र मात्रा पर ई.डी. की छूट के कारण कंपनी ने ₹ 1.15 करोड़ का लाभ प्राप्त किया लेकिन यही कंपनी को पास नहीं किया।

हमने आगे अवलोकित किया कि कंपनी ने आई.ई. बरही, आई.एम.टी. रोहतक तथा आई.ई. पानीपत के विकास के लिए प्रयोग की गई डी.आई. पाइपों पर ₹ 1.04 करोड़ की ई.डी. की छूट का लाभ प्राप्त नहीं किया तथा इन तीनों परियोजनाओं के लिए कार्य टर्नकी आधार पर क्रमश: नवंबर 2010, नवंबर 2011 तथा मार्च 2012 में प्रदान किया गया था। इस प्रकार, डी.आई. पाइपों की खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट के लाभ की अप्राप्ति के कारण, कंपनी ने चार कार्यों में ₹ 2.19 करोड़ की हानि उठाई।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान प्रबंधन, ठेकेदारों द्वारा उनसे प्राप्त उत्पाद शुल्क लाभ वसूल करने हेतु सहमत हो गया।

मूल्य का निर्धारण

2.2.22 कंपनी 'न लाभ न हानि' आधार पर औद्योगिक प्लाट्स आबंटित करती है तथा अनुमानित आधार पर आबंटित किए जाने वाले एरिया द्वारा विभाजित विकास व्यय, ब्याज लागत, भूमि कीमत को जोड़कर आबंटन दरें परिकलित करती हैं। कंपनी ने प्लाट्स/शेडस के आबंटन के लिए 2007-12 के दौरान कोई वर्षवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। इस प्रकार, कंपनी के संपदा डिवीजन का निष्पादन मूल्यांकित नहीं किया जा सका। तथापि, मार्च 2012 तक काटे गए 14,297 प्लाट्स/शेडस में से 2,390 प्लाट्स/शेडस (16.72 प्रतिशत) खाली पड़े थे।

लेखापरीक्षा में मूल्यों के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित रोचक मामले नोटिस किए थे।

पुरानी दरों पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के कारण हानि

2.2.23 मैसर्ज खनदारी ब्रैवरेजिज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट) ने वातित ड्रिंक्स (साफ्टड्रिंक) प्लांट की बाटलिंग स्थापित करने के लिए जी.सी., साहा पर 20 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था (मई 2009)। कंपनी ने यूनिट को ₹ 1,100 प्रति वर्ग मीटर पर 13.40 एकड़ भूमि आबंटित की थी (15 जून 2009) तथा 6.60 एकड़ की शेष भूमि उस समय प्रचलित दरों पर जब भी उपलब्ध हो, आबंटित की जानी थी। कंपनी ने बाद में ₹ 2,500 प्रति वर्ग मीटर के वर्तमान मूल्य पर यूनिट को ₹ 11.54 करोड़[δ] की लागत पर 11.40 एकड (46,170[@] वर्ग मीटर) का एक अतिरिक्त एरिया आबंटित किया (8 मार्च 2011)। कंपनी ने यूनिट को, एक वचनबद्धता प्रस्तुत करके तथा 15 दिन के भीतर प्लाट का 10 प्रतिशत मूल्य के आवेदन धन भुगतान करने हेतु सूचित किया ताकि इसे आर.एल.ए. जारी की जा सके। चूंकि यूनिट ने आवेदन धन के रूप में ₹ 1.28 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया था (24 मई 2010) तथा 9 मार्च 2011 को वचनबद्धता प्रस्तुत की थी, इसलिए कंपनी ने यूनिट को आर.एल.ए. जारी किया (22 मार्च 2011) तथा इसे आबंटन मूल्य का 25 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.89 करोड़ (₹ 1.28 करोड़ + ₹ 1.61 करोड़) बनाने के लिए इसे ₹ 1.61 करोड़ जमा करवाने के लिए भी कहा। इकाई ने यह राशि 4 सितंबर 2011 अर्थात् देय तिथि की समाप्ति के 135 दिन बाद जमा करवाई।

ई.एम.पी. 2011 ने निर्धारित किया कि प्लाटस/शेडस के आबंटन के मामले में, आबंटी को 30 दिनों की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत भुगतान प्रेषित करना अपेक्षित है। इस अवधि को, विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की दर ब्याज के भुगतान पर 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 60 दिनों की समाप्ति पर, प्लाट/शेड का आबंटन रद्द हो जाता है। इसने आगे प्रावधान किया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में, एम.डी. आबंटन करने में सक्षम होगा तथा विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की ब्याज दर के भुगतान पर, आर.एल.ए. के जारी होने के 120 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत भुगतान स्वीकार करेगा तथा उस संपदा/एरिया में आबंटन दरों के संशोधन के मामलों में आबंटी विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की दर पर ब्याज, या वर्तमान आबंटन मूल्य घटा वास्तविक आबंटन मूल्य के अंतर, जो भी उच्चतर है, का भुगतान करेगा।

पुरानी दरों पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 6.84 करोड़ की हानि हुई।

हमने देखा कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 से ₹ 4,000 प्रति वर्गमीटर तक आबंटन दर संशोधित कर दी। लेकिन इसने ई..एम.पी. 2011 के अनुसार यूनिट द्वारा विलंबित अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के अध्याधीन 15 प्रतिशत का शेष भुगतान प्राप्त करते समय आबंटी से 11.40 एकड़ (4 सितंबर 2011) की अतिरिक्त भूमि के लिए ₹ 2,500 प्रति वर्गमीटर की पुरानी दर स्वीकार कर ली। कंपनी ने, 22 अप्रैल 2011 से 4 सितंबर 2011 तक की अवधि के लिए चूक राशि (₹ 1.61 करोड़) पर उपार्जित ब्याज के भुगतान के प्रति ₹ 8.46 लाख जमा करवाने हेतु यूनिट को सुझाव दिया तथा यूनिट द्वारा यह जमा करवाया गया (जनवरी 2012)। इस प्रकार, कंपनी ने लागू संशोधित दर प्रभारित नहीं की तथा परिणामत: ₹ 6.84 करोड़[⊗] की हानि उठाई।

δ 46,170 वर्ग मीटर x ₹ 2,500 प्रति वर्ग मीटर।

@ एक एकड़ = 4,050 वर्ग मीटर, इसलिए 11.40 एकड़ = 46,170 वर्ग मीटर।

⊗ 46170 वर्गमीटर x (₹ 4,000 - ₹ 3,500) - ₹ 8.46 लाख ब्याज के कारण प्राप्त।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि यद्यपि यूनिट द्वारा 15 प्रतिशत भुगतान जमा करवाने में विलंब था, बी.ओ.डी. ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के विचार से पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि आबंटित की तथा सदृश मामलों के लिए अपना ई.एम.पी. 2011 संशोधित किया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी ने संशोधित दरें प्रभारित नहीं की जबकि यूनिट ने विलंबित भुगतान किया था तथा पुरानी दर पर भुगतान के लिए योग्य नहीं थी।

मेगा प्रोजैक्टस

2.2.24 राज्य के औद्योगिक विकास के हिस्से के रूप में, कंपनी काफी संख्या में मेगा मूलभूत संरचना परियोजनाएं कार्यन्वित कर रही है, जो नीचे चर्चित हैं:

कुंडली, मानेसर, पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैस - वे की पूर्णता में असामान्य देरी

2.2.25 कुंडली, मानेसर, पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैस - वे के विकास के लिए राज्य सरकार ने कंपनी को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। के.एम.पी. एक्सप्रैस - वे का विकास दिल्ली बार्डर से संलग्न नए क्षेत्रों को विकास के भावी द्वार के तौर पर खोलने के अतिरिक्त उत्तरी हरियाणा को इसके दक्षिणी जिलों जैसे झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद तथा गुड़गांव के साथ हाई स्पीड लिंक देने के विचार से किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत 135.65 किलोमीटर की भूमि लागत निकाल कर ₹ 1,200 करोड़ थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार तथा हरियाणा सरकार में क्रमश: 50:25:25 के अनुपात में शेयर की जानी थी। हरियाणा का शेयर आगे राज्य सरकार, हुडा तथा कंपनी में क्रमश: 50:25:25 के अनुपात में शेयर किया जाना था।

निर्माण कार्य ग्राही, मैसर्ज के.एम.पी. एक्सप्रैस - वे लिमिटेड को कार्य बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर आबंटित किया गया था (31 जनवरी 2006)। परियोजना की रियायती अवधि 23 वर्ष नौ मास थी जिसमें 29 जुलाई 2009 से वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी.ओ.डी.) के साथ तीन वर्ष की निर्माण अवधि भी शामिल थी। ग्राही ने 31 दिसंबर 2010 को पूर्णता की लक्ष्य तिथि के साथ विस्तृत संशोधित कार्य पूर्णता कार्यक्रम प्रस्तुत किया (27 फरवरी 2009)। मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता की गई उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी अपनी मीटिंग में (जून 2009) 31 दिसंबर 2010 को सी.ओ.डी. के विस्तारण के प्रस्ताव के लिए सहमत हुई। ग्राही ने मुख्यमंत्री, हरियाणा को आश्वासन दिया कि मानेसर पलवल स्ट्रैच अगस्त 2011 तक दिया जाएगा तथा शेष स्ट्रैच नवंबर 2011 तक खोल देगी। एच.पी.सी. ने समय - समय पर प्रोजैक्ट की प्रगति की समीक्षा की तथा कुल परियोजना कीमत की 0.01 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर देरी के लिए जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश (नवंबर 2011) करने के अतिरिक्त ग्राही की इसके अपने प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने की असमर्थता पर चिन्ता प्रकट की।

हमने अवलोकित किया कि विभिन्न अंशदाताओं से अग्रिम में अपेक्षित निधियों की प्राप्ति के संबंध में किसी यंत्रावली के न होने के कारण, ₹ 12.76 करोड़ राज्य सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य थे (मार्च 2012)। आगे, ग्राही 31 मार्च 2012 को 66.68 प्रतिशत की भौतिक, 77 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति प्राप्त कर सका। कंपनी ने, तथापि सी.ओ.डी. की उपलब्धि में देरी के लिए ₹ 17.88 करोड़ का जुर्माना उद्ग्रहीत किया (जुलाई 2012), लेकिन अभी तक (अक्तूबर 2012) कोई राशि वसूल नही की गई थी। इस प्रकार, प्रोजैक्ट की समाप्ति में

असामान्य देरी के कारण के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे के विकास के अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि राज्य सरकार, परियोजना की शीघ्र पूर्णता हेतु मामले का प्रबलता से अनुसरण कर रही है।

एस.ई.जेड का असंस्थापन

2.2.26 जी.ओ.आई. ने निर्यात को बढ़ाने तथा निर्यात प्रोमोशन में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड) अधिनियम 2005 आरंभ किया। मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड सृजित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने राज्य सरकार से पहुंच की (सितंबर 2005)। रिलायंस वेंचर लिमिटेड ने प्रयोजन हेतु (आर.आई.एल. की 100 प्रतिशत सहायता) एक ज्वाइंट वेंचर समझौता (जे.वी.ए.) किया (जून 2006) तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रिलायंस हरियाणा एस.ई.जेड (आर.एच.एस.एल.) नाम के अंतर्गत एक स्पेशल परपज वैहिकल (एस.पी.वी.) निगमित किया (9 अक्तूबर 2006)। हरियाणा निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एच.आई.पी.बी.) द्वारा परियोजना अनुमोदित की गई। पहले फेज में एस.ई.जेड को गुड़गांव में तथा दूसरे फेज में झज्जर में स्थापित किया जाना था। समझौते के अनुसार, कंपनी ने ₹ 399.85 करोड़ की कीमत पर गुड़गांव में 1383.68 एकड़ भूमि आर.एच.एस.एल. को अंतरित की। आर.एच.एस.एल. द्वारा दोनों स्थानों के लिए 25,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जानी अपेक्षित थी लेकिन 31 मार्च 2012 की विस्तारित तिथि तक यह केवल 8,350 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर सकी तथा इसलिए एस.ई.जेड की स्थापना नहीं हो सकी। आर.एच.एस.एल. समझौते की शर्तों में, परियोजना विफल होने के मामले में इसको स्थानान्तरित की गई जमीन के मूल्य पर 15 प्रतिशत जुर्माना दिया जाना अपेक्षित था। तथापि, आर.एच.एस.एल. ने कोई जुर्माना भुगतान करने की बजाय कंपनी को भूमि वापस करने के लिए ₹ 1172 करोड़ की मांग की क्योंकि इसने विकास लागत, स्टाम्प शुल्क रिफंड, भुगतान की गई वार्षिकी तथा 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर का दावा किया था। मामले को आपस में समायोजित करने हेतु एच.आई.पी.बी. ने मीटिंग में (13 अक्तूबर 2012) मामले को आस्थगित कर दिया। मामले में आगे विकास प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2012)। हमने देखा (मई 2012) कि गुड़गांव तथा झज्जर में एस.ई.जेड की स्थापना में आर.एच.एस.एल. की विफलता के कारण, निर्यात को बढ़ाने का उद्देश्य विफल हो गया।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि मामले में आगे कोई प्रगति नहीं थी।

भूमि की गलत कीमत के कारण कम वसूली

2.2.27 गुड़गांव में कंपनी द्वारा मनोरंजनात्मक, लैयर परियोजनाएं तथा अन्य सम्बद्ध परियोजना के विकास के लिए गुड़गांव में ₹ 55.66 करोड़ में 274.74 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (जनवरी 2006)। राज्य सरकार ने ₹ 1.11 करोड़ की अधिग्रहण लागत पर कंपनी को 75.98 एकड़ भूमि भी हस्तांतरित की (नवंबर 2007)। हमने अवलोकित किया कि कंपनी को अन्तरित की गई 350.72 एकड़ भूमि में से 97.72 एकड़ भूमि इस गतिविधि के लिए मुक्त थी तथा शेष 253 एकड़ भूमि पौधारोपण/वन भूमि (अरावली पौधारोपण स्कीम-161.03 एकड़ भूमि तथा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) 1900, 91.97 एकड़) अधीन थी। इस तथ्य के बावजूद, राज्य सरकार ने मनोरंजक/लैयर परियोजनाओं हेतु यह भूमि कंपनी को

हस्तांतरित की। भूमि लागत के निर्धारण तथा सभी हैंडहोल्डिंग दस्तावेजों की तैयारी हेतु मैसर्ज आई.एल.एफ.एस. मूलभूत विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ को कंसलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया (मार्च 2008) जिसने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमने देखा कि कंसलटैंट ने भूमि लागत की मिश्रित अप्रोच प्रयोग करके अर्थात् भूमि की औसत मार्केट दर को औसत डी.सी. दर के साथ गुना करके भूमि लागत मूल्यांकित की।

कंसलटैंट द्वारा विचारित दरों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि आवासीय प्लाट्स के लिए बाजार दर औसत डी.सी. दर से 2.79 गुना (औसत) ज्यादा थी तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के लिए औसत बाजार दर औसत डी.सी. दर से 3.105 गुना ज्यादा थी। कंसलटैट ने, तथापि, औसत बाजार दर की अवहेलना करते हुए आवासीय भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु अनभिलिखत कारणों के लिए 2.79 गुना की बजाय औसत डी.सी. दरों का 1.8 गुना का घटक तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के मूल्य निर्धारण के लिए 3.12 गुना का घटक लिया।

इस प्रकार मूल्यांककों द्वारा अपनाए गए घटक ध्यान में रखते हुए संपत्ति का मूल्य ₹ 1,683.58 करोड़ परिकलित किया गया जबकि संपत्ति का मूल्य निर्धारण आवासीय एरिया के लिए 2.79 गुना तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के लिए 3.105 के सही औसत फैक्टर्ज ध्यान में रखते हुए ₹ 2,142.11 करोड़ परिकलित किए जाते हैं जैसा कि परिशिष्ट-9 में दर्शाया गया है। कंपनी ने तथापि, कंसलटैंट द्वारा की गई गणना को देखे बिना कंसलटैंट द्वारा मूल्य निर्धारण के आधार पर ₹ 1,700 करोड़ पर उपर्युक्त भूमि का रिजर्व मूल्य अनुमोदित कर दिया (अप्रैल 2008)।

विज्ञापन के उत्तर में (जनवरी 2009), मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड (डी.एल.एफ.) ने एरिया की बिक्री के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की (अप्रैल 2009) जो तकनीकी तौर पर योग्य पाई गई थी तथा इसकी वित्तीय बोली (₹ 12,000 प्रति वर्गमीटर) खोली गई (मई 2009)। मैसर्ज डी.एल.एफ. ने अपनी बोली कुछ निश्चित नियमों व शर्तों के साथ प्रस्तुत की जैसे कंपनी कानूनी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं आदि को स्पष्ट करे। कंपनी ने संशोधित शर्तों के साथ परियोजना का दोबारा विज्ञापन दिया (जुलाई 2009)। इतने में ही, एफ.सी.पी.एस., टाउन तथा कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा ने निर्णय लिया कि अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफ.ए.आर.)[Y] एरिया की 20 प्रतिशत दर पर सफल बोलीदाता को अनुमत किया जाना चाहिए। दूसरे प्रयास में, तीन बोलीदाताओं (यानि मैसर्ज डी.एल.एफ., मैसर्ज हाइटस होल्डिंग बरहाद तथा मैसर्ज यूनिटेक लिमिटेड, नई दिल्ली) की तकनीकी बोलियां 12 अगस्त 2009 को खोली गई। कंपनी ने मैसर्ज यूनिटेक लिमिटेड तथा मैसर्ज कंट्री हाइट होल्डिंग बरहाद, मलेशिया द्वारा प्रस्तुत बोलियों को न्यूनतम मापदण्ड पूरा न करने के कारण उनकी नान-रिस्पोंसिव बोली होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया (18 अगस्त 2009) तथा उनकी वित्तीय बोलियां न खोलने का निर्णय किया। मैसर्ज डी.एल.एफ. की बोली ₹ 1,703.20 करोड (₹ 12,000 प्रति वर्ग मीटर) पर स्वीकार कर ली गई जो राज्य सरकार द्वारा बाद में अनुमोदित की गई तथा 350.715 एकड़ भूमि की बिक्री के लिए मैसर्ज डी.एल.एफ. को (फरवरी 2010) कंपनी द्वारा आर.एल.ए. जारी की गई थी (फरवरी 2010)।

Y एफ.ए.आर., निश्चित स्थानों पर भवनों के कुछ फ्लोर एरिया का, उस स्थान की भूमि के आकार से अनुपात अथवा ऐसे अनुपात पर लगाई गई सीमा है।

हमने देखा कि मैसर्ज डी.एल.एफ. ने अप्रैल 2009 में भी ₹ 12,000 प्रति वर्गमीटर की दर पर बोली प्रस्तुत की थी तथा शर्तों में बदलाव, कि इस बार सभी अनुमतियां/क्लीयरेंस इस कंपनी/राज्य द्वारा ली जानी थी, के बावजूद अगस्त 2009 में भी उनके द्वारा उद्धृत दर वही थी तथा एरिया की 20 प्रतिशत की अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमत की गई थी तथा गुड़गांव मानेसर विकास प्लान में किसी भी आवासीय योजना पर डी.एल.एफ. द्वारा प्रयुक्त की जानी अनुमत थी, जिसका मूल्य लेखापरीक्षा में परिकलित नहीं किया जा सका।

गलत घटक अपनाकर परामर्शदाता द्वारा किए गए भूमि के मूल्य निर्धारण के असत्यापन के कारण ₹ 438.91 करोड़ की हानि हुई।

इस प्रकार, कंपनी ने, पी.एल.पी.ए., 1900 के उल्लंघन में पौधारोपण/वन अधीन 253 एकड़ भूमि परामर्शदाता, जिसने अपनी सम्पूर्णत्ता में मूल्यांकन के नियम अनुसरित नहीं किए, द्वारा परिकलित लागत पर हस्तान्तरित कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 438.91 करोड़ तक भूमि का अवमूल्यांकन हुआ। कंपनी ने, कोई विश्लेषण एवं अध्ययन किए बिना परामर्शदाता का मूल्यांकन स्वीकार करके ₹ 438.91 करोड़ की हानि उठाई। इसके अतिरिक्त , इसे अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ अनुमत किया गया तथा कंपनी ने, अनुमतियां/क्लीयरेंस प्राप्त करने की जिम्मेवारी स्वयं पर ले ली।

एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि अतिरिक्त 20 प्रतिशत एफ.ए.आर. के लाभों सहित बोली पैरामीटर पुन: विज्ञापन से पूर्व, संशोधित कर दिए गए थे तथा क्लीयरेंस करवाने पर व्यय डी.एल.एफ. की दायिता थी तथा कोई वित्तीय भार एच.एस.आई.आई.डी.सी./हुडा को अर्जित नहीं हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी ने भूमि की गलत लागत आकलन के कारण निम्नतर पक्ष पर भूमि का आरक्षण मूल्य निर्धारित किया था। प्रबंधन, संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु सहमत हो गया प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2012)। यह अनुशंसा की जाती है कि मैसर्ज आई.एल.एफ.एस. आई.डी.सी.लि. को इसके द्वारा भूमि के अनुचित मूल्यांकन हेतु कंपनी के साथ किसी व्यापार में प्रवेश करने से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

औद्योगिक यूनिटों की मॉनीटरिंग न करना

2.2.28 कंपनी द्वारा मानीटर किया जाना अपेक्षित है कि आबंटी आर.एल.ए. के निबंधनों एवं शर्तों में आबंटित प्लाटों को पूर्णत: प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा कि कंपनी ने मॉनीटर करने हेतु, कि आबंटी अपेक्षित तरीके से अपने बिजनेस को मेनटेन/आपरेट कर रहे हैं, कोई मॉनीटरिंग सैल कंपनी में स्थापित नहीं किया। कंपनी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटैन्टस की फर्म द्वारा तैयार औद्योगिक संपदाओं की राजस्व लेखापरीक्षा तथा भौतिक सर्वे की रिपोर्टस की समीक्षा हमने निम्नवत् अवलोकित किया:

- लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई छ:[∝] औद्योगिक संपदाओं के कुल 7,064 प्लाट्स में से, अप्राधिकृत ट्रांसफरीज 423 प्लाट्स में अपनी गतिविधियां कर रहे थे। आर.एल.ए. के निबंधनों के अनुसार, आबंटियों द्वारा आधिपत्य के प्रस्ताव की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के अंदर औद्योगिक प्लाट्स पर परियोजना कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 731 आबंटियों ने (10.35 प्रतिशत) उत्पादन शुरू नहीं किया था।

∝ बरही, बावल, फरीदाबाद, गुडगांव, मानेसर तथा रोहतक।

- 48 आबंटी गैर - औद्योगिक गतिविधियां कर रहे थे यानि आटो का बिक्री आउटलेट, वित्तीय सेवाओं का कार्यालय तथा गोदाम आदि।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने ऐसे मामले कम करने हेतु मॉनीटरिंग सैल बनाने का आश्वासन दिया।

आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.29 राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज) में एकरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा सिस्टम आरंभ करने के लिए निर्देश जारी किए (मई 1981)। राज्य सरकार ने आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 2002 में निर्देश प्रतिपादित तथा परिचालित किए। निर्देशों के अनुसार, पी.एस.यूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य, जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा सैल विद्यमान नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटैंटस की फर्म को सौंपे जाने थे, कार्य का कार्यक्षेत्र स्पष्टत: परिभाषित करते हुए इसकी रिपोर्ट बी.ओ.डी. के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी।

हमने देखा कि कंपनी के पास कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं था। यद्यपि, कंपनी ने चार्टर्ड अकाउटैंटस (सी.एज) की एक फर्म से आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की थी, इसकी रिपोर्टें यूनिट के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी तथा आडिट कमेटी एवं बी.ओ.डी. को नहीं। कंपनी राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि अच्छे नैगम शासन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.30 आन्तरिक नियंत्रण, उचित आश्वासन देने के लिए कि प्रबंधन उद्देश्य एक कुशल तथा प्रभावी तरीके से अनुसरित किए जा रहे हैं, एक प्रबंधन उपकरण है। आन्तरिक नियंत्रण का एक अच्छा सिस्टम साथ में संगठन के अंदर कार्यात्मक जिम्मेदारियों के सही नियतन, अकाउटिंग डाटा की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु सही परिचालन तथा लेखांकन प्रक्रियाएं, परिसम्पत्तियों के परिचालन तथा सेफगार्डिंग में दक्षता, से समायुक्त होना चाहिए। कंपनी द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की समीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

i. कंपनी ने ऋण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से अवधि ऋण की मंजूरी के लिए समय अवधि निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ऋण आवेदनों का संचयन हुआ।

ii. कंपनी ने नियमित तथा आवधिक अंतराल पर ऋणी यूनिटस के निरीक्षण हेतु कोई सिस्टम नहीं बनाया तथा संग्रहण/बैलेंस सीटस के विश्लेषण/उनकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए ऋणी यूनिटस के कार्यचालन परिणाम का कोई सिस्टम भी नहीं बनाया था।

iii. यद्यपि कंपनी फील्ड कार्यालयों से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करती है, औद्योगिक संपदाओं के विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं की समेकित स्थिति कभी संकलित नहीं की गई थी तथा फील्ड गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.डी. के नोटिस में नहीं लाई गई थी।

iv. कंपनी के पास, भूमि अधिग्रहण के प्राप्त अवार्डज, एल.ए.सी. के साथ जमा किए गए भुगतान के विवरण, वितरित राशि तथा संबंधित एल.ए.सी. के पास अवितरित पड़ी राशि के वर्षवार तथा संपदावार विवरण नहीं थे। इन अभिलेखों का कभी मिलान नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि कंट्री टाउन प्लानिंग डिवीजन, अकाउंटस डिवीजन तथा फील्ड कार्यालयों के बीच कोई समन्वय नहीं था। उचित रिकार्ड के अननुरक्षण के कारण, राशि और अवधि जिसके लिए ये एल.एसीज के पास पड़े हैं तथा निधियों के अवितरण हेतु कारण लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किए जा सके तथा एल.ए. अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि के विकास के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि कंपनी में आन्तरिक नियंत्रण यत्रावली सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मामला, सरकार को संदर्भित किया गया था (सितंबर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

निष्कर्ष

- **कंपनी ने ऋणों की मंजूरी तथा वितरण के संबंध में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। ऋणों का वितरण 2006–07 में ₹ 45.71 करोड़ से 2010–11 में ₹ 26.49 करोड़ तक हो गया।**

- **कंपनी द्वारा किए गए कम वसूली प्रयासों को दर्शाते हुए, 2006–11 के दौरान वसूली के लिए कुल देय राशि से वसूली की प्रतिशतता 47.58 प्रतिशत तथा 62.60 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।**

- **ओटीएस के अंतर्गत 34 मामलों के समायोजन में, कंपनी को 2006–11 के दौरान ₹ 181.20 छोड़ने पड़े थे। इन 34 मामलों में से, 17 मामले ₹ 127.48 करोड़ के लंबित देयों के विरूद्ध केवल ₹ 23.03 करोड़ पर समायोजित किए गए थे यद्यपि कंपनी ने परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 56.91 करोड़ पर आकलित करवाया था।**

- **औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के संबंध में कंपनी का निष्पादन अल्प था तथा इसने औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए कोई भौतिक लक्ष्य समयबद्ध पद्धति में निश्चित नहीं किए थे तथा वित्तीय लक्ष्यों से भूमि के विकास की प्रतिशतता 2006–11 के दौरान 39.75 तथा 94.53 के बीच श्रृंखलित थी।**

- अधिग्रहण के लिए भूमि के चिन्हीकरण के लिए सिस्टम त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

- भूमि के अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान करते समय कंपनी ने नमूना–जांच किए गए दो मामलों में ब्याज के भुगतान के संबंध में एल.ए. अधिनियम, 1894 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

- कंपनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम में त्रुटियां थी।

अनुशंसाएं

कंपनी निम्नलिखित अनुशंसाएं कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है:–

- ऋणों की मंजूरी, वितरण तथा वसूली के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने हेतुं कड़ा अनुपालन तथा ओ.टी.एस. का लाभ केवल योग्य ऋणियों को दिया जाना चाहिए।

- औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए लंबी अवधि एक्शन प्लान की तैयारी सुनिश्चित करना।

- ब्याज के अधिक भुगतान से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की कड़ी पालना सुनिश्चित करना।

- निश्चित समय सीमा के साथ औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण का प्रयास करना।

- प्रभावी तथा कुशल वित्तीय मानीटरिंग के लिए कंपनी के बिजनेस के साइज एवं प्रकृति के साथ अनुरूपता के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए।